ISSN 2455-9644

आसरा मुक्तांगन

मार्च–2024

हिन्दी विमर्श

राजभाषा के 75 वर्ष

खाड़ी देशों में हिन्दी

हिन्दी की प्राथमिक शिक्षा और चुनौतियाँ

मीडिया में कृत्रिम बुद्धि

युद्ध और मानव अधिकार

राष्ट्रभाषा : मनन–मंथन–मंतव्य

महाराष्ट्र का 51वां निरंकारी संत समागम

₹ 30

समाज, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, कला, अध्यात्म, अनुसंधान

मनमोहक झाँकियाँ

STYLE: COBRA STRETCH
सेवादल रैली

STYLE: SHOULDE TAND

सुकून
57
महाराष्ट्र
निरंकारी संत समागम
कवि

You can also follow us on and "Aasara Muktangan"

प्रकाशक-मुद्रक
महानंदा शिरकर

प्रधान संपादक
डॉ. रमेश मिलन

संपादक
डॉ. विमलेश शिरकर

प्रबंध संपादक
मोहन शिरकर

कार्यकारी संपादक
पवित्रा सावंत

उप-संपादक
डॉ. रमेश यादव, गुरुप्रित

अतिथि-संपादक
संजय भारद्वाज

संपादकीय मंडल
- डॉ. सुलभा कोरे
- डॉ. सतीश पाण्डेय
- प्रो. कुसुम त्रिपाठी
- श्री स. वि. लव्हटे
- श्री संजय भारद्वाज
- श्री बाळकृष्ण लोहोटे

सलाहकार मंडल
- गयाचरण त्रिवेदी
- डॉ. चंद्रशेखर आष्टीकर
- सरिता आहुजा (कनाड़ा)
- माधवराव अंभोरे
- जानकी प्रसाद, दिल्ली

जनसंपर्क एवं विशेष आयोजन
- बाळकृष्ण ताम्हाणे
- किशन नेनवानी
- घनश्याम कोळंबे
- दिनेश सिंह

विधि सलाहकार
- ऍड. रमेश शाह

विशेष प्रतिनिधि
- डॉ. वेणुगोपाल कृष्ण, चेन्नई
- आशीष कुमार, मुंबई

प्रबंध सहयोग
राम विलास शास्त्री
मोबाइल : 8920111592, 991077754

आसरा
मुक्तांगन
www.aasaramuktangan.com

मार्च-2024 वर्ष : 12, अंक : 3

इस अंक में

संजय भारद्वाज-
राष्ट्रभाषा : मनन-मंथन-मंतव्य 5

डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव-
राजभाषा के 75 वर्ष 8

ऋषिकेश शरण-
श्रामण्य का अधिकारी 11

विजय नगरकर-
हिन्दी मीडिया में कृत्रिम बुद्धि... 12

संजय भारद्वाज-
युद्ध और मानव अधिकार 17

रवि दत्त गौड़-
राजभाषा कार्यान्वयन 21

प्रो. रवि शुक्ला-
खाड़ी देशों में हिंदी 25

ऋता सिंह-
हिन्दी की प्राथमिक शिक्षा... 27

सुधा भारद्वाज-
परम आनंद 29

डॉ. ऋतु शर्मा नंनन पांडे-
बिन बुलाई चुड़ैल 30

डॉ. रमेश मिलन-
हज़ारों वर्षों पुराना ज़िंदा दैत्य 31

निधि मिथिल भंडारे-
जीवन का सबसे बड़ा सबक... 32

वीनु जमुआर-
जाणीव : घर से दूर वृद्धों के... 33

डॉ. पुष्पा गुजराथी-
बारिश 34

विनीता सिन्हा-
माँ 35

डॉ. सुषमा गजापुरे-
मेरे एक बदलने से 35

जूही गुप्ते-
हिन्दी 36

संध्या-
ज़िंदगी का भेद सारा 37

महाराष्ट्र के 57वें निरंकारी सन्त समागम में निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज... 38

रिपोर्ट-
जल परमात्मा का वरदान है... 40

'अनन्या फाउंडेशन' एवं 'मुकुंद कंपनी' के तत्वावधान में... 41

वसुंधरा फाउंडेशन, ठाणे 42

'आसरा मुक्तांगन' पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में लेखकों के अपने विचार हैं। संपादक का इनके साथ सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- संपादक

आसरा मुक्तांगन

अकादमिक मंडल

न्यायमूर्ति अनंत डी. माने
उच्च न्यायालय, मुंबई (सेवानिवृत्त)

श्री ऋषिकेश शरण
प्रशासक

डॉ. नरेशचंद्र
प्रतिकुलपति, मुंबई वि.वि. (सेवानिवृत्त)

डॉ. माधुरी छेड़ा
शिक्षाविद

साहित्य मंडल

डॉ. सूर्यबाला
साहित्यकार

डॉ. दामोदर खड़से
साहित्यकार

डॉ. रामजी तिवारी
शिक्षाविद-समीक्षक

डॉ. दामोदर मोरे
मराठी कवि

सहयोग

राष्ट्रभाषा प्रसार समिति, वर्धा

धनंजय शिंदे

सुनील पाटिल

शबाना पटेल

पवित्रा सावंत का सम्मान

अंधेरी मुंबई में एम्पॉवर सोशल एंड एज्यूकेशनल ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में जीवन प्रशिक्षक एवं आसरा मुक्तांगन की कार्यकारी संपादक पवित्रा सावंत को 'भारत निर्माण सोशल अवार्ड' द्वारा सम्मानित करते हुए अमेरिकन विद्यापीठ के संस्थापक मधु किशन, उनके सहयोगी, एम्पॉवर सोशल एंड एज्यूकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉ. घनश्याम कोळंबे ने 'आसरा मुक्तांगन' पत्रिका को अपनी शुभकामनाएं दी।

'भारत निर्माण सोशल अवार्ड' प्राप्त करते हुए आसरा मुक्तांगन की कार्यकारी संपादक- पवित्रा सावंत

'आसरा मुक्तांगन' के संदर्भ में

'आसरा मुक्तांगन' राष्ट्रभाषा हिंदी तथा राष्ट्र को समर्पित एक साहित्यिक मासिक पत्रिका है। समाज, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, कला, अध्यात्म, स्वास्थ्य और अनुसंधान को दृष्टिगत रखते हुए एक सशक्त राष्ट्र की नींव को परिपुष्ट करना पत्रिका प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य है। नवयुवकों, नारी तथा बुजुर्गों में जागृति का संचार करना तथा देश में घर-घर तक साहित्य और संस्कृति के उच्चतम संस्कारों को पुष्पित एवं पल्लवित करने के लक्ष्य पूर्ति हेतु, पत्रिका सतत प्रयत्नशील है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना से ओतप्रोत पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादक मंडल का एक सारस्वत अभियान है।

-प्रकाशक

संपादकीय- संजय भारद्वाज

राष्ट्रभाषा : मनन-मंथन-मंतव्य

भाषा का प्रश्न समग्र है। भाषा अनुभूति को अभिव्यक्त करने का माध्यम भर नहीं है। भाषा सभ्यता को संस्कारित करने वाली वीणा एवं संस्कृति को शब्द देनेवाली वाणी है। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति नष्ट करनी हो तो उसकी भाषा नष्ट कर दीजिए। इस सूत्र को भारत पर शासन करने वाले विदेशियों ने भली भाँति समझा। आरंभिक आक्रमणकारियों ने संस्कृत जैसी समृद्ध और संस्कृतिवाणी को हाशिए पर कर अपने-अपने इलाके की भाषाएँ लादने की कोशिश की। बाद में सभ्यता की खाल ओढ़कर अंग्रेज आया। उसने दूरगामी नीति के तहत भारतीय भाषाओं की धज्जियाँ उड़ाकर अपनी भाषा और अपना हित लाद दिया। लद्दू खच्चर की तरह हिंदुस्तानी उसकी भाषा को ढोता रहा। अंकुश विदेशियों के हाथ में होने के कारण वह असहाय था।

यहाँ तक तो ठीक था। शासक विदेशी था, उसकी सोच और कृति में परिलक्षित स्वार्थ व धूर्तता उसकी कूटनीति और स्वार्थ के अनुरूप थीं। असली मुद्दा है स्वाधीनता के बाद का। अंग्रेजी और अंग्रेजियत को ढोते लद्दू खच्चरों की उम्मीदें जाग उठीं। जिन्हें वे अपना मानते थे, अंकुश उनके हाथ में आ चुका था किंतु वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि अंतर केवल चमड़ी के रंग में हुआ था। देसी चमड़ी में अंकुश हाथ में लिए फिरंगी अब भी खच्चर पर लदा रहा। अलबत्ता आरंभ में पंद्रह बरस बाद बोझ उतारने का 'लॉलीपॉप' जरुर दिया गया। धीरे-धीरे 'लॉलीपॉप' भी बंद हो गया। खच्चर मरियल और मरियल होता गया।

राष्ट्रभाषा को स्थान दिये बिना राष्ट्र के अस्तित्व और सांस्कृतिक अस्मिता को परिभाषित करने की चौपटराजा प्रवृत्ति के परिणाम भी विस्फोटक रहे हैं। इन परिणामों की तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव की जा सकती है। इनमें से कुछ की चर्चा यहाँ की जा रही है।

राष्ट्रभाषा शब्द के तकनीकी उलझाव और आठवीं अनुसूची से लेकर अपभ्रंश बोलियों तक को राष्ट्रभाषा की चौखट में शामिल करने के शाब्दिक छलावे की चर्चा यहाँ अप्रासंगिक है। राष्ट्रभाषा से स्पष्ट तात्पर्य देश के सबसे बड़े भूभाग पर बोली-लिखी और समझी जाने वाली भाषा से है। भाषा जो उस भूभाग पर रहनेवाले लोगों की संस्कृति के तत्वों को अंतर्निहित करने की क्षमता रखती हो, जिसमें प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों से शब्दों के आदान-प्रदान की उदारता निहित हो। हिंदी को उसका संविधान प्रदत्त पद व्यवहारिक रूप में प्रदान करने के लिए आम सहमति की बात करने वाले भूल जाते हैं कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रभाषा अनेक नहीं होते। हिंदी का विरोध करने वाले कल यदि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत पर भी विरोध जताने लगें, अपने-अपने ध्वज फहराने लगें, गीत गाने लगें तो क्या कोई अनुसूची बनाकर उसमें कई ध्वज और अनेक गीत प्रतिष्ठित कर दिये जायेंगे? क्या तब भी यह कहा जायेगा कि अपेक्षित राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज आम सहमति की प्रतीक्षा में हैं? भीरु व दिशाहीन मानसिकता दु:शासन का कारक बनती है जबकि सुशासन स्पष्ट नीति और पुरुषार्थ के कंधों पर टिका होता है।

सांस्कृतिक अवमूल्यन का बड़ा कारण विदेशी भाषा में देसी साहित्य पढ़ाने की अधकचरी सोच है। राजधानी के एक अंग्रेजी विद्यालय ने पढ़ाया गया- 'सीता वॉज स्वीटहार्ट ऑफ रामा।' ठीक इसके विपरीत श्रीराम को सीताजी के कानन-कुण्डल मिलने पर पहचान के लिए लक्ष्मण जी को दिखाने का प्रसंग स्मरण कीजिए। लक्ष्मण जी का कहना कि मैंने सदैव भाभी माँ के चरण निहारे, अतएव कानन-कुण्डल की पहचान मुझे कैसे होगी?- यह भाव संस्कृति की आत्मा है। कुसुमाग्रज की मराठी कविता में शादीशुदा बेटी का मायके में 'चार भिंतीत नाचली' (बेटी का मायके आने पर आनंद विभोर होना) का भाव तलाशने के लिए सारा यूरोपियन भाषाशास्त्र खंगाल डालिये। 'न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।'

कटु सत्य यह है कि भाषाई प्रतिबद्धता और सांस्कृतिक चेतना के धरातल पर वर्तमान में भयावह उदासीनता दिखाई देती है। समृद्ध परंपराओं के स्वर्णमहल खंडहर हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम से बेदखल किया जाना। चूँकि भाषा संस्कृति की संवाहक है, अंग्रेजी माध्यम का अध्ययन यूरोपीय संस्कृति का आयात कर रहा है। एक भव्य धरोहर डकारी जा रही है और हम दर्शक-से खड़े हैं। शिक्षा के माध्यम को लेकर बनी शिक्षाशास्त्रियों की अधिकांश समितियों ने सदा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की सिफारिश की। यह सिफारिशें वर्षों कूड़े-दानों में पड़ी रहीं। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने पहली बार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने को प्रधानता दी है। यह सराहनीय है।

यूरोपीय भाषा समूह की अंग्रेजी के प्रयोग से 'कॉन्वेंट एजुकेटेड' पीढ़ी, भारतीय भाषा समूह के अनेक अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाती। 'ड़', 'ण' अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। 'पूर्ण', पूर्न हो चला है, 'शर्म' और 'श्रम' में एकाकार हो चला है। ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं के अंतर का निरंतर होता क्षय अर्थ का अनर्थ कर रहा है। 'लुटना' और 'लूटना' एक ही हो गये हैं। विदेशियों द्वारा की गई 'लूट' को 'लुटना' मानकर हम अपनी लुटिया डुबोने में अभिभूत हो रहे हैं।

लिपि नये संकट से गुजर रही है। इंटरनेट पर खास तौर पर फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर जैसी साइट्स पर देवनागरी को रोमन में लिखा जा रहा है। 'बड़बड़' के लिए barbar/badbad (बर्बर या बारबर या बार-बार) लिखा जा रहा है। 'करता', 'कराता', 'कर्ता' में फर्क कर पाना भी संभव नहीं रहा है। जैसे-जैसे पीढ़ी पेपरलेस हो रही है, स्क्रिप्टलेस भी होती जा रही है। मृत्यु की अपरिहार्यता को लिपि पर लागू करनेवाले भूल जाते हैं कि मृत्यु प्राकृतिक हो तब भी प्राण बचाने की चेष्टा की जाती है। ऐसे लोगों को याद दिलाया जाना चाहिये कि यहाँ तो लिपि की सुनियोजित हत्या हो रही है और हत्या के लिए भारतीय न्यायसंहिता के अंतर्गत मृत्युदंड का प्रावधान है।

सारी विसंगतियों के बीच अपना प्रभामंडल बढ़ाती भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी के विरुद्ध 'फूट डालो और राज करो' की कूटनीति निरंतर प्रयोग में लाई जा रही है। इन दिनों हिंदी की बोलियों को स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दिलाने की गलाकाट प्रतियोगिता शुरु हो चुकी है। खास तौर पर गत जनगणना के समय इंटरनेट के जरिये इस बात का जोरदार प्रचार किया गया कि हम हिंदी की बजाय उसकी बोलियों को अपनी मातृभाषा के रूप में पंजीकृत कराएँ संबंधित बोली को आठवीं अनुसूची में दर्ज़ कराने के सब्जबाग दिखाकर, हिंदी की व्यापकता को काग़ज़ों पर कम दिखाकर आंकड़ो के युद्ध में उसे परास्त करने के वीभत्स षड्यंत्र से क्या हम लोग अनजान हैं? राजनीतिक इच्छाओं की नाव पर सवार बोलियों को भाषा में बदलने के आंदोलनों के प्रणेताओं (!) को समझना होगा कि यह नाव उन्हें घातक भाषाई षड्यंत्र की सुनामी के केंद्र की ओर ले जा रही है। अपनी राजनीति चमकाने और अपनी रोटी सेंकनेवालों के हाथ फंसा नागरिक संभवत: समझ नहीं पा रहा है कि यह भाषाई बंदरबाँट है। रोटी किसी के हिस्से आने की बजाय बंदर के पेट में जायेगी। बेहतर होता कि मूलभाषा-हिंदी और उपभाषा के रूप में बोली की बात की जाती।

संसर्गजन्य संवेदनहीनता, थोथे दंभवाला कृत्रिम मनुष्य तैयार कर रही है। कृत्रिमता की ये पराकाष्ठा है कि मातृभाषा या हिंदी न बोल पाने पर व्यक्ति लज्जा अनुभव नहीं करता पर अंग्रेजी न जानने पर उसकी आँखें स्वयंमेव नीची हो जाती हैं। शर्म से गड़ी इन आँखों को देखकर मैकाले और उसके भारतीय वंशजों की आँखों में विजय के अभिमान का जो भाव उठता होगा, ग्यारह अक्षौहिणी सेना को परास्त कर वैसा भाव पांडवों की आँखों में भी न उठा होगा।

संस्कृत को पाठ्यक्रम से हटाना एक अक्षम्य भूल रही। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी, प्रादेशिक भाषा एवं संस्कृत/अन्य क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान किया जाता तो देश को ये दुर्दिन देखने को नहीं मिलते। अब तो हिंदी को पालतू पशु की तरह दोहन मात्र का साधन बना लिया गया है। जनता से हिंदी में मतों की याचना करनेवाले निर्वाचित होने के बाद अधिकार भाव से अंग्रेजी में शपथ उठाते हैं।

साहित्यकारों के साथ भी समस्या है। दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के बड़े वर्ग में भाषाई प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती। इनमें से अधिकांश ने भाषा को साधन बनाया, साध्य नहीं। यही स्थिति हिंदी की रोटी खानेवाले

प्राध्यापकों, अधिकारियों और हिंदी फिल्म के कलाकारों की भी है। सिनेमा में हिंदी में संवाद बोलकर हिंदी की रोटी खानेवाले सार्वजनिक वक्तव्य अंग्रेजी में करते हैं। ऐसे सारे वर्गों के लिए वर्तमान दुर्दशा पर अनिवार्य आत्मपरीक्षण का समय आ चुका है।

भाषा के साथ-साथ भारतीयता के विनाश का जो षड्यंत्र रचा गया, वह अब आकार ले चुका है। भारत में दी जा रही तथाकथित आधुनिक शिक्षा में रोल मॉडेल भी यूरोपीय चेहरे ही हैं। नया भारतीय अन्वेषण अपवादस्वरूप ही दिखता है। डूबते सूरज के भूखंड से आती हवाएँ, उगते सूरज की भूमि को उष्माहीन कर रही हैं।

छोटी-छोटी बात पर और प्राय: बेबात संविधान को इत्थमभूत धर्मग्रंथ-सा मानकर अशोभनीय व्यवहार करने वाले छुटभैयों से लेकर कथित राष्ट्रीय नेताओं तक ने कभी राष्ट्रभाषा को मुद्दा नहीं बनाया। जब कभी किसीने इस पर आवाज़ उठाई तो बरगलाया गया कि भाषा संवेदनशील मुद्दा है। तो क्या देश को संवेदनहीन समाज अपेक्षित है? कतिपय बुद्धिजीवी भाषा को कोरी भावुकता मानते हैं। शायद वे भूल जाते हैं कि युद्ध भी कोरी भावुकता पर ही लड़ा जाता है। युद्धक्षेत्र में 'हर-हर महादेव' और 'पीरबाबा सलामत रहें' जैसे भावुक (!!!) नारे ही प्रेरक शक्ति का काम करते हैं। यदि भावुकता से राष्ट्र एक सूत्र में बंधता हो, व्यवस्था शासन की दासता से मुक्त होती हो, शासकों की संकीर्णता पर प्रतिबंध लगता हो, अनुशासित समाज जन्म लेता हो तो भावुकता देश की अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है।

हिंदी पखवाड़े के किसी एक दिन हिंदी के नाम का तर्पण कर देने या सरकारी सहभोज में सम्मिलित हो जाने भर से हिंदी के प्रति भारतीय नागरिक के कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो सकती। आवश्यक है कि नागरिक अपने भाषाई अधिकार के प्रति जागरुक हों। वे सूचना के अधिकार के तहत राष्ट्रभाषा को राष्ट्र भर में मुद्दा बनाएँ।

भारतीय भाषाओं के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए छात्रों से अपेक्षित है कि वे अपनी भाषा में उच्च शिक्षा पाने के अधिकार को यथार्थ में बदलने के लिए पहल करें। स्वाधीनता के सत्तर वर्ष बाद भी न्याय व्यवस्था के निर्णय विदेशी भाषा में आते हों तो संविधान की पंक्ति- 'भारत एक सार्वभौम गणतंत्र है' अपना अर्थ खोने लगती है।

भारतीय युवाओं से वांछित है कि दुनिया की हर तकनीक को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराएँ। आधुनिक तकनीक और संचार के अधुनातन साधनों से अपनी बात दुनिया तक पहुँचाना तुलनात्मक रूप से बेहद आसान हो गया है। भारतीय भाषाओं में अंतरजाल पर इतनी सामग्री अपलोड कर दें कि ज्ञान के इस महासागर में डुबकी लगाने के लिए अन्य भाषा भाषी भी हमारी भाषाएँ सीखने को विवश हो जाएँ।

सरकार से अपेक्षित है कि हिंदी प्रचार संस्थाओं के सहयोग से विदेशियों को हिंदी सिखाने के लिए क्रैश कोर्सेस शुरु करे। भारत आनेवाले सैलानियों के लिए ये कोर्सेस अनिवार्य हों। वीसा के लिए आवश्यक नियमावली में इसे समाविष्ट किया जा सकता है।

बढ़ते विदेशी पूँजीनिवेश के साथ भारतीय भाषाओं और भारतीयता का संघर्ष 'अभी नहीं तो कभी नहीं' की स्थिति में आ खड़ा हुआ है। समय की मांग है कि हिंदी और सभी भारतीय भाषाएँ एकसाथ आएँ। प्रादेशिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के नारे को बुलंद करना होगा। 'अंधाधुंध अंग्रेजी' के विरुद्ध ये एकता अनिवार्य है।

बीते सात दशकों में पहली बार भाषा नीति को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार संवेदनशील और सक्रिय दिखाई दे रही है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता, भारत और भारतीयता के पक्ष में स्वयं प्रधानमंत्री ने पहल की है। मंत्री तो मंत्री रक्षा और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी हिंदी में अपनी बात रख रहे हैं। नई शिक्षानीति भारतीय भाषाओं की उन्नति की दृष्टि से दूरगामी सिद्ध होगी। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो या उच्चस्तर पर आधुनिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन, अरुणोदय की संभावनाएँ तो बन रही हैं। आशा है कि इन किरणों के आलोक में 'इंडिया' की केंचुली उतारकर 'भारत' शीघ्रतिशीघ्र बाहर आएगा।

'आसरा मुक्तांगन' के इस अंक के लिए अपना सृजनात्मक सहयोग देनेवाले सभी लेखकों के प्रति हृदय से आभार।

-संजय भारद्वाज

डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव

राजभाषा के 75 वर्ष

प्रस्तावना :

भूमि, समाज और संस्कृति से राष्ट्र बनता है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और इस संस्कृति की संवाहक होती है- भाषा।

हमारे देश की सांस्कृतिक चेतना की जड़ें बहुत गहरी हैं। यही हमारे देश की अलग पहचान भी है। हमारा देश बहुत विशाल और विविधता से परिपूर्ण है। एक बहुभाषी देश होने के बावजूद संपूर्ण देश की संस्कृति लगभग समान है। हिन्दी हमारी इस सामासिक संस्कृति के केन्द्र में है।

सुदृढ़ इमारत के निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है कि नींव भी हर दृष्टि से मज़बूत हो। आजादी की इस बुनियाद को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए और आज़ादी की मशाल को अनवरत जलाए रखने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एक राजभाषा का होना भी अत्यंत आवश्यक था।

कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से बंगाल की खाड़ी तक फैले इस विशाल और महान देश की प्राचीन समृद्ध संस्कृति में अनगिनत संस्कृतियों का संगम हुआ। इस देश ने न जाने कितने साम्राज्यों, वंशों, जातियों, धर्मों और भाषाओं को अपनी विराटता में संजो लिया। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि हमारे देश में भाषाओं, बोलियों, उपबोलियों की भी संख्या हजारों में है, तो इसमें विस्मय की क्या बात!

हिन्दी को आज़ादी से पहले ही और संविधान निर्माण के पूर्व ही जनभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। आज़ादी की लड़ाई में विभिन्न भाषा-भाषी सेनानियों ने जनसामान्य तक पहुंच के लिए हिंदी को अपनाया।

कुछ तारीखें देश के इतिहास को गढ़ने में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को एकमत से राजभाषा का दर्जा दिया गया। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ।

राजभाषा हिंदी का संवैधानिक स्वरूप :

संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 (2) के अंतर्गत राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को पहले पंद्रह वर्ष की अवधि तक जारी रखने का प्रावधान है। अन्य उपधाराओं के अनुसार अंग्रेजी के प्रयोग को आगे भी जारी रखने का प्रावधान है।

अष्टम अनुसूची :

देश की कुल 22 भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है। इसमें अंग्रेजी का समावेश नहीं है।

राजभाषा अधिनियम :

वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाए गए, जिसके अंतर्गत संविधान के प्रारंभ के पंद्रह वर्ष बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान है। इस अधिनियम को वर्ष 1967 में संशोधित किया गया।

इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 9 धाराएं हैं। धारा 3 (3) के अंतर्गत निर्धारित दस्तावेजों को द्विभाषिक रूप में ही जारी करने का प्रावधान है।

राजभाषा नियम :

राजभाषा अधिनियम की धाराओं की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। इसके अंतर्गत क ख व ग क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। साथ ही, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर, आवेदन, अभ्यावेदन, टिप्पणियों, प्रवीणता, कार्यसाधक ज्ञान, लेखन सामग्री में भाषा के प्रयोग आदि के संबंध में कुल 12 नियम बनाए गए।

प्रावधानों और नियम-अधिनियम का प्रभाव

प्रश्न यह उठता है कि क्या इन प्रावधानों और नियम-अधिनियम से कुछ लाभ हुआ?

वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने से लेकर आज तक केन्द्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों और सरकारी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने स्तर पर राजभाषा नीति के अनुपालन ओर राजभाषा कार्य में गुणात्मक और गुणवत्तात्मक संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं।

मील के पत्थर के रूप में दो घटनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है- एक तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के लागू होने से सरकारी कार्यालयों में अनुवाद के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागज़ात में द्विभाषिकता की अनिवार्यता ने हिन्दी के पक्ष में अच्छी शुरूआत की। इसके बाद वर्ष 1976 में राजभाषा नियम पारित होने के उपरांत सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ।

यह स्पष्ट है कि स्थिति नकारात्मक तो कतई नहीं है। कार्यालयीन कार्य में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग का एक अध्याय पूर्ण हुआ है। एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई है और बुनियादी स्वरूप के कार्यों को पूरा किया गया है।

कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। आज जब हम रेल या विमान से असम, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या अन्य हिंदीतरभाषी प्रदेश में पहुंचते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी भी हमें दिखाई देती है। रेल आरक्षण आवेदन भी हम हिंदी में भर सकते हैं। आय कर विवरण हिंदी में भरे जा रहे हैं और उसकी सूचना भी हमें हिंदी में मिल रही है। सरकारी बैंकों के कामकाज में ग्राहकों के लिए हिंदी सभी स्तरों पर उपलब्ध है। हिंदी में पर्ची भरकर ग्राहक अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। तकनीक में हिंदी सहजता से उपलब्ध है। वेबसाइट पर हिंदी में जानकारी है, मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयरों में भी हिंदी का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। प्रचार सामग्री, साइन-बोर्ड, लेखन सामग्री, रबड़ की मोहरें, स्थायी प्रारूप- कहां नहीं है हिंदी?

इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि गांव-गांव में और जन-जन तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाने में हिंदी एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में रही है। गोपालसिंह नेपाली की सुपरिचित पंक्तियां यहां उद्धृत करूंगा-

दो वर्तमान को सत्य, सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो
हिन्दी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो

इस कविता को हमें व्यापक संदर्भ में देखना है। यह सही है कि हिन्दी अपना मार्ग बनाती हुई आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बदलाव की प्रतीक्षा करते रहें।

हिंदी की वर्तमान स्थिति :

भूमंडलीकरण और भूमंडीकरण के दौर में हिंदी एक नए रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। भारत का उपभोक्ता बाजार बहुत व्यापक है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह भी पता है कि हमारे देश के लोगों तक पहुंचने के लिए हिंदी ही सर्वोत्तम विकल्प है। अंग्रेजी के विज्ञापनों की बनिस्बत हिंदी के विज्ञापनों की पहुंच जन-जन तक है।

व्यावसायिक संस्थाएं और व्यापारिक संगठन भी अपने कारोबार के विकास की दृष्टि से अब हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं।

टी.वी. के बहुत से चैनल पूरे चौबीस घंटे हिंदी कार्यक्रम चला रहे हैं। इनमें केवल मनोरंजन कार्यक्रम नहीं, बल्कि न्यूज चैनल, बिजनेस चैनल, स्वास्थ्य, शेयर बाजार, विधिक कार्रवाई और खाने-पकाने से संबंधित चैनल भी हैं। विदेश में भी करोड़ों लोग हिंदी कार्यक्रम पसंद से देखते हैं।

सोशल मीडिया पर हिंदी का बोलबाला है। प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब तरफ हिंदी मौजूद है। फेसबुक और ट्विटर पर हिंदी छाई हुई है। ब्लॉगिंग के क्षेत्र में हिंदी का वर्चस्व है। माइक्रोसॉफ्ट के उत्पाद हिंदी में आ रहे हैं। हिंदी रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उपलब्ध है।

हिंदी के चहुंमुखी प्रचार-प्रसार के बावजूद आत्ममंथन और स्व-निरीक्षण करने पर हम राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति को संतोषजनक नहीं पाते।

चुनौतियां और समस्याएं :

हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना है कि वर्ष 1976 में राजभाषा नियम पारित होने और संसदीय राजभाषा समिति के गठन के उपरांत राजभाषा कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी में अपनी भाषाओं के इस्तेमाल को छोड़कर मुख्य रूप से हमें जिन चुनौतियों और समस्याओं से जूझना पड़ रहा है वे हैं राजभाषा के मूलभूत प्रबंधन से संबंधित समस्याएं।

कार्यालय की अनिवार्यताओं को देखते हुए कई बार राजभाषा अधिकारियों को अन्य बहुत से कार्य सौंप दिए जाते हैं। यह राजभाषा के सुचारू कार्यान्वयन को प्रभावित करता है।

शुद्धता का अतिरिक्त और व्यर्थ का आग्रह पालना ठीक नहीं, लेकिन आसान भाषा के प्रयोग को लेकर हम इतने उदार हो गए कि प्रचलित और अनुकूल शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी के शब्दों के लिप्यांतरण तक ही खुद को सीमित कर लिया। उदाहरण के लिए जाति के स्थान पर कास्ट, छात्र के स्थान पर स्टूडेंट और इसी प्रकार बेहतर विकल्प हिन्दी में होने के बावजूद शॉपिंग, नेचर, मार्केट, कोर्ट आदि अनगिनत शब्द बोलचाल में ही नहीं, बल्कि मुद्रित रूप में भी हमारे सामने आ रहे हैं।

अधिकांश मामलों में समस्या की तह तक जाने पर हम पाते हैं कि अपेक्षा के अनुसार राजभाषा से संबंधित पद या तो सृजित नहीं किए गए या इनका इष्टतम इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इसका परोक्ष प्रभाव राजभाषा प्रबंधन पर पड़ना स्वाभाविक है। स्थूल तौर पर देखा जाए तो सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक 100 कर्मचारियों पर एक राजभाषा अधिकारी होना चाहिए, किंतु कई मामलों में तो किसी संस्थान के एक संपूर्ण राज्य के कार्यालयों और शाखाओं के लिए केवल एक राजभाषा अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कई संस्थानों में तो बरसों से राजभाषा के पद रिक्त पड़े होते हैं।

कार्यालयों में टंकण यंत्रों और टंककों का स्थान कंप्यूटरों ने ले लिया है। कई जगहों पर हिंदी अधिकारी इतना तकनीकक्षम नहीं होता। ऐसे में हिन्दी कार्य अलग से करने और संपन्न कराने के लिए राजभाषा अधिकारी के पास कोई तकनीकी सहायक उपलब्ध नहीं होता।

राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से राजभाषा अधिकारी की बहुआयामी भूमिका होती है। राजभाषा अधिकारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रबंधन तंत्र को हिन्दी से जोड़कर संस्थान में राजभाषा कार्य को स्वीकार्यता दिलाना होता है। भाषा परिवर्तन के लिए विविध माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए राजभाषा कर्मियों को अपने दायित्वों का निर्वाह करना होता है। तकनीक और प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग, अनुवाद, शिक्षण, प्रशिक्षण, हिन्दी का वातावरण बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन, समय-समय पर राजभाषा के अतिरिक्त सौंपे गए अन्य दायित्वों के निर्वहन और संस्थान की मुख्यधारा के साथ अपने आपको जोड़े रखने का प्रयास करते हुए राजभाषा अधिकारी समग्र प्रबंधन में कई बार खुद को असमर्थ पाता है।

समाधान :

दरअसल जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया है, उनके हल समस्याओं में ही छिपे हैं। निम्न सुझाव इन समस्याओं के निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं :

- बदलते परिवेश में राजभाषा अधिकारी की भूमिका में परिवर्तन होना चाहिए। कार्य का इस प्रकार विनियोजन करना होगा कि हिंदी का सारा कार्य खुद कार्य करने की बजाय दूसरों से हिन्दी में कार्य कराया जाए। राजभाषा अधिकारी एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करे।
- राजभाषा अधिकारियों/अनुवादकों के पदों को सृजित करना और भरना अत्यंत आवश्यक है।
- अनुवाद अत्यंत साहित्यिक भले ही न हो, इसकी स्पष्टता से कोई समझौता न किया जाए। हमें इस तथ्य को याद रखना है कि नेपोलियन अधिकांश युद्ध केवल संप्रेषण में स्पष्टता के कारण जीता था। उसकी बात को निचले पद का सिपाही भी समझ सकता था।
- केवल हिन्दी से संबंधित योजनाएं बनाने से

कार्य नहीं होगा। योजनाओं के प्रति वित्तीय अनुमोदन भी प्रदान किया जाए। राजभाषा से संबंधित आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का पद इस स्तर का हो कि अमल करने वाला अधिकारी उसे चुनौती न दे सके।

- राजभाषा से संबंधित लक्ष्य मानवीय सामर्थ्य के अनुरूप हों। रेखा थोड़ी दूर है, तो हम प्रयास करेंगे। रेखा पहुंच से बाहर है, वहां तक पहुंचना संभव ही नहीं है, तो कई बार व्यक्ति प्रयास भी नहीं करता।
- यह न मान लिया जाए कि कंप्यूटर पर हिन्दी में सारे कार्य का दारोमदार राजभाषा अधिकारी पर ही है। कंप्यूटर विशेषज्ञ अधिकारी और राजभाषा अधिकारी के तालमेल से कंप्यूटरों में हिन्दी के प्रयोग को लागू किया जाए।

उपसंहार :

मानव का यह स्वभाव है कि वह हर बात में नयापन चाहता है- साबुन, कपड़े, टीवी, रेफ्रीजेरेटर से लेकर हर बात में कोई नई तकनीक या नयापन। मोबाइल में हर दिन एक नया प्रयोग और नई किस्म नज़र आती है। कंप्यूटर तो साल भर में आउटडेटेड और उपयोगहीन हो जाता है। स्पष्ट है कि सदैव कुछ बदलाव की चाह हम रखते हैं। ठीक इसी तरह हिन्दी के कार्य को लेकर भी कुछ नवीनता और कुछ ताज़गी ज़रूरी है।

कार्यालय कार्य में कुछ नई और मौलिक योजनाओं के साथ हमें आगे आना होगा। जिस प्रकार आर्मी में नमूने की पहाड़ी बनाकर- यहां खतरे, यहां झील, यहां शत्रु, यहां रसद, यहां सिपाही- इस प्रकार पहले हमला करने की रणनीति तैयार की जाती है। इसी प्रकार एक सोची समझी रणनीति के तहत हमें राजभाषा के कार्य में नए सिरे से जुटना होगा। निरंतर चुनौतियों के बीच जनाब राजेश रेड्डी की पंक्तियों के भाव के साथ में अपनी बात को विराम देना चाहूंगा-

इम्तहां से गुजरकर क्या देखा, इक नया इम्तहान बाकी है।
जाने कितनी उड़ान बाकी है, लेकिन पंखों में जान बाकी है।

rajendra2012s@gmail.com
उप महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधान कार्यालय, पुणे

ऋषिकेश शरण

श्रामण्य का अधिकारी

बुद्ध संघ में दो प्रकार के भिक्षु थे। एक वे जो शाक्य-मुनि के उपदेशों को सुनकर उन पर धाराप्रवाह प्रवचन इस प्रकार करते थे कि नौसिखुआ भिक्षुओं के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था। इस प्रकार वे अपनी विद्वता सिद्ध करते थे। पंडित भिक्षुओं को पंडिताई के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता था।

दूसरी श्रेणी के भिक्षु संसार का त्याग कर धर्म और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा करते थे। वे धर्म के पथ पर स्वयं चलते थे और अपने अनुभव के आधार पर वे बहुत कुछ प्राप्त कर लिया करते थे। लेकिन जब कभी वाद-विवाद होता तो पंडित भिक्षुओं के वाग्जाल से वे बाहर नहीं निकल पाते थे। पंडित भिक्षुगण बाजी मार ले जाते थे।

शाक्य मुनि को इस बात की पूरी जानकारी थी। एक दिन उन्होंने धर्म-सभा में समझाया, 'जो व्यक्ति ग्रंथों का पाठ याद कर लेता है पर उन पर आचरण नहीं करता वह वैसा ही है जैसा गाय चराने की नौकरी करने वाला व्यक्ति। उसका काम मात्र गाय चराना होता है तथा शाम में गायें गिनना। वह श्रमण का अधिकारी नहीं होता है। दूसरी ओर अगर थोड़े ही ग्रंथों का पाठ करे पर उसके अनुकूल आचरण करे तो वह वैसा ही होता है जैसे वह स्वयं गायों का मालिक हो। उसे दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, मलाई सभी की प्राप्ति होती है।

(दो मित्र भिक्षुओं की कथा)

विजय नगरकर

हिन्दी मीडिया में कृत्रिम बुद्धि की भूमिका

कृत्रिम बुद्धि (AI) हिंदी मीडिया में तेजी से अपना स्थान बना रही है। कृत्रिम बुद्धि का उपयोग हिंदी समाचार, मनोरंजन और शिक्षा सामग्री बनाने के लिए किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धि के उपयोग से हिंदी मीडिया अधिक सटीक, रोचक और सुलभ बन रहा है।

हिंदी समाचार में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा रहा है:

1. स्वचालित भाषण पहचान का उपयोग हिंदी समाचारों को रिकॉर्ड और ट्रांसक्राइब करने के लिए किया जा रहा है। इससे पत्रकारों को समय और श्रम की बचत होती है। लाइव टीवी साक्षात्कार, कार्यक्रम का संवाद लिपिबद्ध किया जाता है। पहले नोट्स निकलना अथवा आशुलिपिक की सहायता से रिपोर्ट बनानी पड़ती थी। इससे अब समय की बचत और तत्काल प्रकाशन संभव हुआ है।
2. यथार्थवादी ग्राफिक्स और एनिमेशन का उपयोग हिंदी समाचारों को अधिक आकर्षक और समझने में आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। विषय के अनुरूप चित्र और एनिमेशन का चुनाव अब संभव हुआ है।
3. मशीन का उपयोग हिंदी समाचारों से रुझानों और प्रवृत्तियों को पहचानने के लिए किया जा रहा है। इससे पत्रकारों को अधिक प्रासंगिक और समय पर समाचार रिपोर्ट करने में मदद मिलती है। पाठक की पसंद और वर्तमान ट्रेंड के अनुकूल रिपोर्टिंग संभव हुआ है।

हिंदी मनोरंजन में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा रहा है:

1. वॉयस ओवर टेक्स्ट का उपयोग हिंदी फिल्मों और टीवी शो में वॉयस ओवर के लिए किया जा रहा है। इससे कलाकारों को अधिक समय और ऊर्जा अपनी अभिनय क्षमता पर केंद्रित करने में मदद मिलती है। भिन्न पात्रों के लिए मशीनी संवाद उपलब्ध हैं–
2. कंप्यूटर-जनित इमेजरी (CGI) का उपयोग हिंदी फिल्मों और टीवी शो में विशेष प्रभावों को बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे

हिंदी मनोरंजन अधिक रोमांचक और आकर्षक बन रहा है।

3. मशीन लर्निंग का उपयोग हिंदी मनोरंजन सामग्री को उपयोगकर्ताओं की रुचियों के अनुसार अनुकूलित करने के लिए किया जा रहा है। इससे हिंदी मनोरंजन अधिक व्यक्तिगत और आनंददायक बन रहा है।

हिंदी शिक्षा में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा रहा है:

1. कम्प्यूटर-आधारित प्रशिक्षण का उपयोग हिंदी छात्रों को नई अवधारणाओं और कौशल सीखने में मदद करने के लिए किया जा रहा है। इससे हिंदी शिक्षा अधिक सुलभ और प्रभावी बन रही है।
2. विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सहायता का उपयोग हिंदी छात्रों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए किया जा रहा है। इससे हिंदी शिक्षा अधिक समावेशी बन रही है।
3. मशीन लर्निंग का उपयोग हिंदी छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने और उनका समर्थन करने के लिए किया जा रहा है। इससे हिंदी शिक्षा अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी बन रही है।

कुल मिलाकर, कृत्रिम बुद्धि हिंदी मीडिया में कई तरह से सकारात्मक बदलाव ला रहा है। कृत्रिम बुद्धि का उपयोग हिंदी समाचार को अधिक सटीक और समय पर बनाने, हिंदी मनोरंजन को अधिक रोमांचक और आकर्षक बनाने और हिंदी शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए किया जा रहा है।

कृत्रिम बुद्धि हिंदी मीडिया में आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कृत्रिम बुद्धि के उपयोग से हिंदी मीडिया में निम्नलिखित बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

हिंदी समाचार अधिक व्यक्तिगत और प्रासंगिक बनेंगे- कृत्रिम बुद्धि का उपयोग हिंदी समाचारों को उपयोगकर्ताओं की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। इससे हिंदी समाचार अधिक व्यक्तिगत और प्रासंगिक बनेंगे।

हिंदी मनोरंजन अधिक इमर्सिव और इंटरैक्टिव बनेगा- कृत्रिम बुद्धि का उपयोग हिंदी मनोरंजन सामग्री को अधिक इमर्सिव और इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे हिंदी मनोरंजन अधिक रोमांचक और आनंददायक बनेगा।

हिंदी शिक्षा अधिक व्यक्तिगत और समावेशी बनेगी- कृत्रिम बुद्धि का उपयोग हिंदी शिक्षा को अधिक व्यक्तिगत और समावेशी बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे हिंदी शिक्षा अधिक सुलभ और प्रभावी बनेगी।

कृत्रिम बुद्धि हिंदी मीडिया के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका उपयोग हिंदी मीडिया को अधिक सटीक, रोचक और सुलभ बनाने के लिए किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धि के उपयोग से हिंदी मीडिया में कई तरह के नए अवसर पैदा होंगे।

मीडिया उद्योग में कार्यों को स्वचालित करने, वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित करने और नई और नवीन सामग्री बनाने के लिए एआई टूल का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। मीडिया के लिए। टूल के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:

सामग्री निर्माण: एआई टूल का उपयोग टेक्स्ट उत्पन्न करने, भाषाओं का अनुवाद करने, विभिन्न प्रकार की रचनात्मक सामग्री लिखने और दृश्य सामग्री बनाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एआई-संचालित लेखन सहायक लेखकों को विचार, शोध विषय उत्पन्न करने और लेख, ब्लॉग पोस्ट और अन्य प्रकार की सामग्री लिखने में मदद कर सकते हैं। एआई-संचालित छवि जनरेटर पाठ विवरण से यथार्थवादी छवियां बना सकते हैं।

सामग्री क्यूरेशन: एआई टूल का उपयोग कई स्रोतों से सामग्री को क्यूरेट करने, प्रासंगिक सामग्री की पहचान करने और उपयोगकर्ताओं को सामग्री की अनुशंसा करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एआई-संचालित सोशल मीडिया क्यूरेटर व्यवसायों को सोशल मीडिया पर प्रासंगिक सामग्री खोजने और साझा करने में मदद कर सकते हैं। एआई-संचालित समाचार एग्रीगेटर उपयोगकर्ताओं को नवीनतम समाचारों और सूचनाओं से अपडेट रहने में मदद कर सकते हैं।

सामग्री विश्लेषण: एआई टूल का उपयोग भावनाओं के लिए सामग्री का विश्लेषण करने, रुझानों की पहचान करने और अंतर्दृष्टि निकालने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एआई-संचालित भावना विश्लेषण उपकरण व्यवसायियों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि ग्राहक उनके उत्पादों और सेवाओं के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। एआई-संचालित रुझान विश्लेषण उपकरण मीडिया और सोशल मीडिया पर उभरते रुझानों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।

मीडिया योजना और खरीदारी: मीडिया योजना और खरीदारी निर्णयों को अनुकूलित करने के लिए एआई टूल का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एआई-संचालित मीडिया नियोजन उपकरण विज्ञापनदाताओं को उनके अभियानों के लिए सर्वोत्तम चैनल और दर्शकों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। एआई-संचालित मीडिया खरीदारी उपकरण विज्ञापनदाताओं को अपने विज्ञापनों के लिए सर्वोत्तम दरों पर बातचीत करने में मदद कर सकते हैं।

मीडिया के लिए AI टूल के कुछ विशिष्ट उदाहरण यहां दिए गए हैं:

कैनवा: कैनवा एक लोकप्रिय ऑनलाइन डिजाइन प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न प्रकार की एआई-संचालित सुविधाएँ प्रदान करता है, जैसे स्वचालित पृष्ठभूमि हटाना, छवि अपस्केलिंग और टेक्स्ट-टू-इमेज जेनरेशन।

सिंथेसिया: सिंथेसिया एक वीडियो निर्माण मंच है जो उपयोगकर्ताओं को एआई-जनित अवतारों के साथ यथार्थवादी वीडियो बनाने की अनुमति देता है।

डिस्क्रिप्ट: डिस्क्रिप्ट एक ऑडियो संपादन प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न प्रकार की एआई-संचालित सुविधाएँ प्रदान करता है, जैसे शोर हटाना, स्वचालित ट्रांसक्रिप्शन और वॉयस क्लोनिंग।

Amazon का Alexa : Amazon का Alexa एक स्मार्ट स्पीकर है जो एआई का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों और अनुरोधों को समझने और उनका जवाब देने के लिए करता है।

YouTube का 'Recommended' फंक्शन: You Tube का 'Recommended' फंक्शन एआई का उपयोग

करके उपयोगकर्ताओं के लिए संबंधित वीडियो सुझाता है।

Netflix का 'Personalized Recommendations' फंक्शन: Netflix का 'Personalized Recommendations' फंक्शन एआई का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं के लिए संबंधित फिल्में और टीवी शो सुझाता है।

आईबीएम वॉटसन मीडिया: आईबीएम वॉटसन मीडिया एआई टूल्स का एक सूट है जिसका उपयोग मीडिया सामग्री का विश्लेषण और क्यूरेट करने के लिए किया जा सकता है। आईबीएम वॉटसन मीडिया का उपयोग रुझानों की पहचान करने, अंतर्दृष्टि निकालने और सिफारिशें तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

Google AI का BERT: यह एक मशीन लर्निंग मॉडल है जिसका उपयोग टेक्स्ट को समझने और उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मीडिया सामग्री को स्वचालित रूप से उत्पन्न करने, भाषाओं का अनुवाद करने और विज्ञापनों को लक्षित करने के लिए किया जाता है।

OpenAI का GPT-3: यह एक बड़ा भाषा मॉडल है जिसका उपयोग टेक्स्ट, कोड और अन्य प्रकार की रचनात्मक सामग्री को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मीडिया सामग्री को उत्पन्न करने, वॉयस ओवर बनाने और ग्राफिक डिजाइन करने के लिए किया जाता है।

Adobe Sensei: यह Adobe द्वारा विकसित एक। प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग मीडिया उत्पादन, विश्लेषण और प्रचार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो को स्वचालित रूप से संपादित करने, वॉयस ओवर उत्पन्न करने

और सोशल मीडिया विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।

एआई उपकरण अभी भी विकास के अधीन हैं, लेकिन उनमें मीडिया उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है। जैसे-जैसे एआई उपकरण अधिक शक्तिशाली और किफायती होते जा रहे हैं, उनका उपयोग मीडिया पेशेवरों और व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा किए जाने की संभावना है।

हिंदी समाचार चैनलों में एआई का उपयोग:

स्वचालित भाषा अनुवाद: एआई का उपयोग हिंदी समाचारों को अन्य भाषाओं में स्वचालित रूप से अनुवाद करने के लिए किया जा सकता है। इससे हिंदी समाचारों को एक बड़े दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है।

समाचार विश्लेषण: एआई का उपयोग हिंदी समाचारों का विश्लेषण करने और रुझानों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। इससे समाचार रिपोर्टिंग को अधिक जानकारीपूर्ण और प्रासंगिक बनाया जा सकता है।

वीडियो संपादन: एआई का उपयोग हिंदी समाचार वीडियो को स्वचालित रूप से संपादित करने के लिए किया जा सकता है। इससे समाचार प्रस्तुति को अधिक सुव्यवस्थित और आकर्षक बनाया जा सकता है।

हिंदी रेडियो स्टेशनों में एआई का उपयोग:

स्वचालित म्यूजिक चयन: एआई का उपयोग हिंदी रेडियो स्टेशनों पर म्यूजिक को स्वचालित रूप से चयन करने के लिए किया जा सकता है। इससे दर्शकों के लिए अधिक व्यक्तिगत अनुभव बनाया जा सकता है।

समाचार और मौसम अपडेट: एआई का उपयोग हिंदी रेडियो स्टेशनों पर समाचार और मौसम अपडेट प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इससे दर्शकों को नवीनतम जानकारी तक पहुंच प्राप्त होती है।

सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन: एआई का उपयोग हिंदी रेडियो स्टेशनों की वेबसाइटों और ऐप्स को सर्च इंजन के लिए अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। इससे दर्शकों को स्टेशनों को खोजना और खोज परिणामों में उन्हें देखना आसान हो जाता है।

हिंदी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफार्मों में एआई का उपयोग:

कस्टमाइज्ड सामग्री: एआई का उपयोग हिंदी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफार्मों पर उपयोगकर्ताओं के लिए कस्टम सामग्री प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इससे उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और रुचिकर सामग्री मिलती है।

समाचार फीड्स: एआई का उपयोग हिंदी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफार्मों पर समाचार फीड्स को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। इससे उपयोगकर्ताओं को उन समाचारों तक पहुंच मिलती है जिनमें वे रुचि रखते हैं।

वीडियो प्लेलिस्ट: एआई का उपयोग हिंदी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफार्मों पर वीडियो प्लेलिस्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे उपयोगकर्ताओं को उन वीडियो तक पहुंच मिलती है जो उनके लिए रुचिकर हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, कृत्रिम बुद्धि हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक शक्तिशाली उपकरण है। एआई के अनुप्रयोगों का उपयोग हिंदी समाचारों, मनोरंजन, और सूचनाओं को अधिक सुलभ, प्रभावी, और आकर्षक बनाने के लिए किया जा सकता है।

एआई के उपयोग से जुड़े कुछ चुनौतियां:

पक्षपात: एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली डेटा सेट पक्षपाती हो सकती हैं। इससे एआई मॉडल में पक्षपात हो सकता है।

सुरक्षा: एआई सिस्टम को हैक या गलत उपयोग किया जा सकता है। इससे व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील डेटा लीक हो सकता है।

रोजगार: एआई का उपयोग कई कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। इससे कुछ नौकरियों का नुकसान हो सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, कृत्रिम बुद्धि हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एआई के अनुप्रयोगों का उपयोग हिंदी समाचारों, मनोरंजन, और सूचनाओं को अधिक सुलभ, प्रभावी, और आकर्षक बनाने के लिए किया जा सकता है।

कृत्रिम बुद्धि का उपयोग हिंदी मीडिया में कई तरह से किया जा रहा है, जिसमें समाचार लेखन, वीडियो उत्पादन, और सोशल मीडिया मार्केटिंग शामिल हैं। हालांकि, कृत्रिम बुद्धि के आगमन के कुछ संभावित दुष्परिणाम भी हैं।

समाचार की गुणवत्ता में गिरावट

कृत्रिम बुद्धि का उपयोग समाचार लेखन के लिए किया जा सकता है, जिसमें लेखों को स्वचालित रूप से उत्पन्न करना और मौजूदा समाचारों का सारांश प्रदान करना शामिल है। हालांकि, कृत्रिम बुद्धि द्वारा उत्पन्न समाचार की गुणवत्ता हमेशा मानव-लिखित समाचार की तरह अच्छी नहीं होती है। कृत्रिम बुद्धि द्वारा उत्पन्न समाचार में अक्सर त्रुटियां और भ्रामक जानकारी होती है। इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धि द्वारा उत्पन्न समाचार को अक्सर संदर्भ से बाहर निकाला जा सकता है, जिससे गलतफहमी हो सकती है।

झूठी खबरों का प्रसार

कृत्रिम बुद्धि का उपयोग झूठी खबरों को फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धि द्वारा उत्पन्न झूठी खबरें अक्सर मानव-लिखित झूठी खबरों से अलग नहीं होती हैं। इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धि का उपयोग झूठी खबरों को सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए भी किया जा सकता है।

व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग

कृत्रिम बुद्धि का उपयोग हिंदी मीडिया में व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करने के लिए भी किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धि का उपयोग लक्षित विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है जो उपयोगकर्ताओं की रुचियों को लक्षित करते हैं। इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धि का उपयोग उपयोगकर्ताओं की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है।

रोजगार में कमी

कृत्रिम बुद्धि का उपयोग हिंदी मीडिया में कई तरह के कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। इससे हिंदी मीडिया में रोजगार में कमी आ सकती है।

भाषा की विविधता में कमी

कृत्रिम बुद्धि का उपयोग हिंदी मीडिया में एक ही तरह की सामग्री को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। इससे हिंदी भाषा की विविधता में कमी आ सकती है।

इन दुष्परिणामों से बचने के लिए, हिंदी मीडिया उद्योग को कृत्रिम बुद्धि का उपयोग ज़िम्मेदारी से करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें कृत्रिम बुद्धि द्वारा उत्पन्न सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, झूठी खबरों के प्रसार को रोकने, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने, और रोजगार के नुकसान को कम करने के उपाय शामिल हैं।

हिंदी मीडिया उद्योग कृत्रिम बुद्धि के दुष्परिणामों को कम करना

कृत्रिम बुद्धि द्वारा उत्पन्न सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, मीडिया संगठनों को कृत्रिम बुद्धि मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली डेटासेट का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, मीडिया संगठनों को कृत्रिम बुद्धि मॉडलों को मानव संपादकों द्वारा सत्यापित करना चाहिए।

झूठी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए, मीडिया संगठनों को कृत्रिम बुद्धि मॉडलों को झूठी खबरों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके अलावा, मीडिया संगठनों को उपयोगकर्ताओं को झूठी खबरों की पहचान करने के लिए शिक्षित करना चाहिए।

व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए, मीडिया संगठनों को उपयोगकर्ताओं की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करने के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए। इसके अलावा, मीडिया संगठनों को उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित करने के लिए विकल्प प्रदान करना चाहिए।

रोजगार के नुकसान को कम करने के लिए, मीडिया संगठनों को कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करके नए कौशल और नौकरियों को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।

कृत्रिम बुद्धि हिंदी मीडिया में एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग अच्छी और बुरी दोनों तरह के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हिंदी मीडिया उद्योग को कृत्रिम बुद्धि के दुष्परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि यह एक सकारात्मक शक्ति बन सके।

कृत्रिम बुद्धि हिंदी मीडिया के भविष्य के लिए एक आशाजनक तकनीक है। कृत्रिम बुद्धि के उपयोग से हिंदी मीडिया में कई तरह के नए अवसर पैदा होंगे।

राजभाषा अधिकारी (सेवानिवृत्त) अहमदनगर
(कृत्रिम बुद्धि आधारित Google Bard AI की सहायता से)
vpnagarkar@gmail.com

संजय भारद्वाज

युद्ध और मानव अधिकार

पिछले दो वर्ष से विश्व रूस-यूक्रेन युद्ध की विभीषिका का साक्षी रहा है। अब हमास द्वारा निर्दोष इजराइली नागरिकों की बर्बर हत्या के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में तबाही मचा दी है। दुखद है कि जान-माल की अपरिमित हानि के बाद भी दुनिया के किसी न किसी भाग में प्राय: छोटी-बड़ी लड़ाई चलती रहती है।

वस्तुत: युद्ध, मानव निर्मित सबसे बड़ी विभीषिका है। आपदा में व्यापक स्तर पर जनहानि होती है, युद्ध में जनसंहार होता है। आपदा आकस्मिक होती है जबकि युद्ध ठंडे मस्तिष्क से योजना बनाकर लड़ा जाता है। युद्ध के लक्ष्य और शत्रु के वध का प्रयास भी पूर्व निश्चित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो युद्ध अपराध है। विचारपूर्वक योजना बनाकर की गई हत्या के लिए मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास का प्रावधान लगभग पूरी दुनिया में है। तब भी युद्ध को जिस गंभीर स्तर का अपराध माना जाना चाहिए था, वैसा न करते हुए अनेक बार सिलेक्टिव तरीके से उसे अनिवार्य समझा गया है। समस्या के हल के लिए युद्ध को अंतिम विकल्प माना जाता है, जबकि सत्य यह है कि युद्ध आज तक किसी भी समस्या का हल नहीं बन सका। युद्ध स्वयं एक समस्या है। युद्ध के बाद भी दोनों पक्षों को अंतत: वार्ता के लिए आमने सामने बैठना ही होता है। 'टू टर्न द टेबल, यू हैव टू कम टू द टेबल।' सत्य का एक आयाम यह भी है कि 'वॉर इज वॉट हैपन्स व्हेन लैंग्वेज फेल्स।' भाषा संवाद का माध्यम है। अत: कहा जा सकता है कि जब संवाद समाप्त हो जाता है तो युद्ध आरम्भ होता है। समय साक्षी है कि विवाद का हल सदैव संवाद से ही हुआ है।

युद्ध की परिभाषा-

1. सामान्य तौर पर माना जाता है कि 'वॉर इज अ कन्टेनशन/ वायलेंस बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस' अर्थात युद्ध सशस्त्र सेनाओं के बीच होनेवाला हिंसक विवाद है।
2. युद्ध दो या अधिक राज्यों के बीच सशस्त्र सेनाओं के माध्यम की एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता है जिसका लक्ष्य एक दूसरे को परास्त करना और विजेता की इच्छा के अनुरूप शांति की शर्तों को लादना है। -(एल. ओपेनहीम)
3. युद्ध दो या अधिक राज्यों के बीच प्रधानत: सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से एक प्रतिद्वंद्विता होती है। प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी समूह का दूसरे को परास्त करना तथा अपनी शर्तों के अनुरूप शांति को लादना अंतिम उद्देश्य होता है। -(जे. बी. स्ट्रेक)
4. युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसक रूप है। -(किबालयंग)
5. युद्ध एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे सामाजिक समूह पर किया संगठित आक्रमण है। इसमें आक्रांता समूह जानबूझकर अनाक्रांता की जान-माल की बरबादी करके अपने हितों की वृद्धि करता है। -(हॉबेल)
6. युद्ध उन संबंधों का औपचारिक तौर पर टूटना है जो शांतिकाल मे राष्ट्रों को परस्पर एक दूसरे से बाँधे रखते हैं। -(इलियट-मैरिल)
7. साधारणतया युद्ध शब्द का प्रयोग ऐसे शस्त्रात्मक संघर्ष के लिए किया जाता है जो कि चेतन इकाइयों, जैसे; प्रजातियों या जनजातियों, राज्य अथवा छोटी भौगोलिक इकाइयों, धार्मिक

अथवा राजनीतिक दलों, आर्थिक वर्गों से निर्मित जनसंख्यात्मक समूहों के अन्तर्गत होता है। -(सामाजिक-विज्ञान कोश)

ध्यान देने वाली बात है कि विभिन्न परिभाषाओं में 'शांति के लिए युद्ध' कहा गया है। 'पीस बाय फोर्स' याने अंतिम लक्ष्य शांति है। संभवत: इसीलिए पीसकीपिंग फोर्स या शांतिसेना शब्द प्रचलन में आया होगा। शांति, चर्चा द्वारा ही संभव है। चर्चा के लिए साथ आना होता है, एक-दूसरे को सुनना होता है।

साथ आना मनुष्यता का लक्षण है। एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा मनुष्य से अपेक्षित भी है अन्यथा मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि समयानुसार युद्ध के लिए भी कुछ नियम बनाए गए। मानव के मूलभूत अधिकारों की रक्षा का प्रावधान हुआ। समय-समय पर इन प्रावधानों में बेहतरी होती चली गई।

मानव अधिकार-

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की थी। इसमें मनुष्य के मूलभूत अधिकारों की घोषणा है। ये अधिकार मानव की गरिमा हैं। ये अधिकार स्त्री-पुरुष के लिए समान हैं। इनका हरण नहीं किया जा सकता।

इसके प्रमुख अनुच्छेद और उनमें वर्णित मानव अधिकारों की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है-

अनुच्छेद 1-2: गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की मूलभूत अवधारणाओं की स्थापना।

अनुच्छेद 3-5: जीवन का अधिकार, साथ ही दासता तथा यातना का निषेध जैसे अन्य व्यक्तिगत अधिकारों की स्थापना।

अनुच्छेद 6-11: मानवाधिकारों की मौलिक वैधता का उल्लेख। उल्लंघन होने पर उनकी रक्षा के लिए विशिष्ट उपायों की जानकारी।

अनुच्छेद 12-17: समुदाय के प्रति व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य के भीतर आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और राष्ट्रीयता के अधिकार का समावेशन।

अनुच्छेद 18-21: संवैधानिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक, सार्वजनिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, जैसे विचार, धर्म, विवेक, व्यक्ति की शांतिपूर्ण संगति एवं जानकारी प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता को अनुमति। संचार के किसी भी माध्यम से विचाराभिव्यक्ति का अधिकार।

अनुच्छेद 22-27: व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को अनुमति। स्वास्थ्य सम्बंधी सुश्रुषा, समुचित जीवन स्तर का अधिकार। प्रसूति काल एवं बाल्यावस्था में वांछनीय देखभाल।

अनुच्छेद 28-30: पूर्व अनुच्छेदों में उल्लेखित अधिकारों का प्रयोग करने के साधनों की स्थापना। साथ ही अनुच्छेद 1 से 30 में उल्लेखित किसी भी बात का अपनी सुविधा से ऐसा अर्थ लगाना निषिद्ध करना, जिससे इन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का भी हनन हो सकता हो।

युद्ध और मानवाधिकार-

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानवाधिकारों को न केवल सार्वभौमिक कहा है अपितु हर स्थिति में इनकी रक्षा किये जाने पर बल दिया है। युद्ध भी इसका अपवाद नहीं है। फलत: कोई कारण नहीं बनता कि युद्ध में मानव के अधिकार निरस्त हो जाएँ।

नरसंहार, शांति के खिलाफ अपराध, युद्ध नियमों का उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों की प्रमुख श्रेणियाँ हैं।

मानवाधिकार उल्लंघन के इन कृत्यों में नागरिकों पर हमला, असैनिक / निवासी इमारतों पर हमला, अस्पतालों और स्कूलों जैसे संरक्षित संस्थानों पर हमला, सैनिकों के शवों से छेड़छाड़ करना, आत्मसमर्पण करने का अवसर नहीं देना, नागरिकों के शवों से छेड़छाड़ करना, युद्धकालीन यौन हिंसा, लूट, यातना, बाल सैनिकों का उपयोग आदि शामिल हैं।

तथापि कटु सत्य यह है कि नियम बनते ही तोड़े जाने के लिए हैं। युद्ध एक ऐसी विशेष परिस्थिति है जहाँ हर ओर मृत्यु का तांडव हो रहा होता है। ऐसे में युद्ध को मॉनिटर करना या संतुलित ढंग से निरीक्षण कर पाना संभव नहीं होता। यही कारण है मानव इतिहास के विभिन्न युद्धों में मानवाधिकारों का निरंतर हनन हुआ है। मानवी बर्बरता और मनुष्य के भीतर का विद्रूप और वीभत्स चेहरा अनेक बार सामने आया है।

विचार करें तो युद्ध अपने आप में मनुष्यता का उल्लंघन

है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश है- 'सभी सदस्य राष्ट्रों को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों से असंगत किसी अन्य तरीके से बल के खतरे या प्रयोग से बचना चाहिए।' (अनुच्छेद 2/4) तथ्य यह है कि इन दिशा-निर्देशों के बाद भी विश्व में अनेक बार युद्ध हुए हैं। इन युद्धों में न्यूनाधिक मात्रा में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएँ हुई हैं।

प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध सहित अन्य अनेक युद्धों / युद्ध सदृश्य संघर्षों में मानवाधिकारों का सरेआम और खुलकर उल्लंघन हुआ है।

द्वितीय विश्वयुद्ध में नाजियों द्वारा बंदी बनाये गए सोवियत सैनिकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, वह रोंगटे खड़े कर देता है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 3.3 मिलियन सोवियत सैनिकों का संहार किया गया। इनमें से अनेक को गोली मार दी गई। गोली का खर्च बचाने के लिए जानबूझकर खतरनाक स्थितियाँ और भुखमरी पैदा की गई। बड़ी संख्या में सोवियत सैनिक भूख के चलते मृत्यु को प्राप्त हुए। यहाँ तक कि विवशता में कुछ सोवियत सैनिकों के नरभक्षी हो जाने की रिपोर्टें भी मिलीं।

विश्व के सबसे बड़े जनसंहार होलोकास्ट में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। यह यहूदियों की कुल आबादी का लगभग दो-तिहाई आँकड़ा माना जाता है। इनमें गैस चेंबर में डालकर मार देना, मारपीट, सरेआम गोली मारना, ठंड में निर्वस्त्र छोड़ देना जैसे क्रूर तौर तरीके सम्मिलित थे।

1864 के सेरासियन जनसंहार में लगभग 25 लाख नागरिकों को अत्यंत वीभत्स और जघन्य तरीके से मृत्यु के हवाले कर दिया गया था। रशियन सेना ने इनमें महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा था। माना जाता है कि इसके चलते सेरासियन की 90% आबादी समाप्त हो गई थी।

1915 में तुर्की की ऑटोमन सेना ने आर्मेनिया में जबरदस्त नरसंहार किया था। इसमें लगभग 15 लाख नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।

फिलीपींस और वियतनाम में अमेरिकी सेना द्वारा स्थानीय सैनिकों और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की सारी हदें पार कर दी गईं। 1968 में वियतनाम के माई लाई गाँव में रात के समय बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी।

70 के दशक में कंबोडिया में खमेर रूज के शासन में लगभग 20 लाग लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके कारणों में निरंतर कठोर काम करवाना, भुखमरी, मृत्युदंड शामिल थे।

90 के दशक में रवांडा के गृहयुद्ध में हुतू जनजाति द्वारा तुत्सी जनजाति के 5 लाख नागरिकों की हत्या करने का अंदेशा है। इसी दशक में बोस्निया में हुआ नरसंहार भी मानवता के चेहरे पर कालिख पोतने वाला है।

माना जाता है कि पूर्वी बंगाल के वासियों के असंतोष को दबाने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने आम नागरिकों पर भी बर्बर अत्याचार किए। एक वेब पेज के अनुसार लगभग 30 लाख नागरिकों का जनसंहार हुआ था। चार लाख से अधिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। पिछले दिनों बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने 1971 के युद्ध में किये गए मानवाधिकारों के जघन्य उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को माफी मांगने के लिए भी कहा है।

मानवाधिकारों के उल्लंघन में यौन हिंसा विद्रूप औज़ार के रूप में प्रयोग की जाती है। 'रेप इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर।' यह वाक्य ही मनुष्य के मानसिक पतन का क्रूर उदाहरण है। इस आधार पर हर जघन्य अपराध को तर्क का जामा पहनाया जा सकता है। जघन्यता को तर्क ओढ़ाने की इस सोच को छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्धनीति में स्त्रियों के सम्मान का अध्ययन करना चाहिए। उनके एक सेनानायक ने शत्रुसेना के परास्त सूबेदार की अनन्य सुंदर पुत्रवधू गौहर बानू को भी विजित संपदा के साथ महाराज के सामने प्रस्तुत किया। छत्रपति ने न केवल सेनानायक से नाराज़गी जताई अपितु गौहर बानू को ससम्मान लौटाते हुए कहा, "काश मेरी माँ भी आपकी तरह सुन्दर होती तो मैं भी इतना ही सुन्दर होता!"

मानवाधिकारों के सम्मान की इस परंपरा का भारतीय सेना ने भी सदैव निर्वहन किया है। शत्रु द्वारा अनेक अवसरों पर किये गये युद्ध अपराध का समुचित उत्तर भारत की सेना ने युद्ध के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही दिया है।

उपसंहार-

जैसा कि आरम्भ में कहा गया है, युद्ध, मानव निर्मित सबसे बड़ी विभीषिका है। इस विभीषिका को आरम्भ जीवित लोग करते हैं पर इसका अंत केवल मृतक ही देख पाते हैं। विडंबना यह है कि युद्ध शनैः-शनैः जीवित व्यक्तियों की संवेदना को भी मृतप्रायः कर देता है। किसी युद्ध में एक मनुष्य, दूसरे मनुष्य के अधिकारों को रौंद रहा हो और सुदूर बैठा तीसरा मनुष्य मनोरंजन के कार्यक्रमों के ब्रेक में युद्ध की विभीषिका को भी किसी रंजक कार्यक्रम की तरह देख रहा हो, इससे अधिक दारुण परिणाम और क्या हो सकता है?

युद्ध की विभीषिका को मनुष्य के स्तर पर अनुभव करने का प्रयास करती इस लेख के लेखक की 'युद्ध के विरुद्ध' शीर्षक से एक कविता है-

कल्पना कीजिए,
आपकी निवासी इमारत
के सामने वाले मैदान में,
आसमान से एकाएक
टूटा और फिर फूटा हो
बम का कोई गोला,
भीषण आवाज़ से
फटने की हद तक
दहल गये हों
कान के परदे,
मैदान में खड़ा
बरगद का
विशाल पेड़
अकस्मात
लुप्त हो गया हो
डालियों पर बसे
घरौंदों के साथ,
नथुनों में हवा की जगह
घुस रही हो बारूदी गंध,
काली पड़ चुकी
मटियाली धरती
भय से समा रही हो
अपनी ही कोख में,
एकाध काले ठूँठ
दिख रहे हों अब भी
किसी योद्धा की
ख़ाक हो चुकी लाश की तरह,
अफरा-तफरी का माहौल हो,
घर, संपत्ति, जमीन के
सारे झगड़े भूलकर
बेतहाशा भाग रहा हो आदमी
अपने परिवार के साथ
किसी सुरक्षित
शरणस्थली की तलाश में,
आदमी की फैल चुकी आँखों में उतर आई हो
अपनी जान और अपने घर की औरतों की
देह बचाने की चिंता,
बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष
सबके नाम की
एक-एक गोली लिये
अट्टाहस करता विनाश सामने खड़ा हो,
भविष्य मर चुका हो,
वर्तमान बचाने का संघर्ष चल रहा हो,
ऐसे समय में
चैनलों पर युद्ध के विद्रूप दृश्य
देखना बंद कीजिए,
खुद को झिंझोड़िए,
संघर्ष के रक्तहीन विकल्पों पर
अनुसंधान कीजिए,
स्वयं को पात्र बनाकर
युद्ध की विभीषिका को
समझने-समझाने का यह
मनोवैज्ञानिक अभ्यास है,
मनुष्यता को बचाये
रखने का यह प्रयास है...!

युद्ध की विभीषिका की वेदना कुरेदेगी तो मानवाधिकारों की रक्षा की संवेदना भी बची रहेगी।

writersanjay@gmail.com
अध्यक्ष, हिंदी आंदोलन परिवार
वरिष्ठ स्तंभकार, पुणे

रवि दत्त गौड़

राजभाषा कार्यान्वयन

एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाने में एक पंक्ति है 'उसकी ज़ुबाँ उर्दू की तरह'। संयोगवश उर्दू शायरी को काव्य मंचों पर भी प्राथमिकता मिलते हुए कई बार देखा है। इसके विपरीत सिनेमा-जगत में शुद्ध हिंदी का उपहास होते देखा है और हिंदी साहित्य के बारे में यह सुना जाता है कि वह उर्दू के बिना अपूर्ण है।

सन् 2001 के आसपास का वाकया है। एक गैर-सरकारी संगठन के कार्यक्रम में उपस्थित एक माननीय सांसद ने कहा था कि 'हिंदी के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा इसमें लिए गये संस्कृत के शब्द हैं।' उन्होंने उसी मंच से उर्दू के पक्ष में अप्रत्यक्ष संकेत भी दिया था। उर्दू के प्रति किसी का मोह होने का हम सम्मान करते हैं, पर संस्कृत, हिंदी के कार्यान्वयन में रुकावट है, ऐसा कथन यथार्थ से कोसों दूर है। सांसद महोदय के वक्तव्य से मेरे जैसे अनेक लोग आक्रोशित थे, पर अवसर की गरिमा को देखते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारी अप्रसन्नता का कारण उर्दू नहीं, बल्कि संस्कृत के प्रति उनके कुतर्क थे।

थिरू कम्ब रामायण को जिसने भी पढ़ा है, उसने पढ़ा होगा कि महाकवि कम्ब ने कई जगह वाणी की मधुरता के लिए तमिल भाषा को सराहा है,हालांकि उन्होंने संस्कृत को तमिल की तुलना में दोयम दर्जे की भाषा कहीं भी नहीं कहा बल्कि कई जगह उसकी भी प्रशंसा की है।

हिंदी के पक्ष में समझकर जिन्हें मंचों पर सम्मानित किया जाता है, कई बार वे ऐसा बोल जाते हैं, जिससे उसको लाभ मिलने के स्थान पर उसका नुकसान होता है। विशेषकर संस्कृत के प्रति उनके जो दुराग्रह हैं, वे हिंदी की नींव को भी कमज़ोर करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि वे ऐसा जानबूझकर करते हैं, ताकि हिंदी को अपेक्षित सम्मान न मिले।

हिंदी-इतर भाषी क्षेत्रों के नेता स्थानीय भाषाओं को हिंदी से खतरा बताकर, अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते रहते हैं। अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम हर हिंदी-इतर-भाषी राज्य में है जो स्वाभाविक भी है। लेकिन अपनी भाषा के विकल्प के रूप में अंग्रेजी के प्रति पूर्ण झुकाव राजनेताओं की नीयत पर सवाल खड़े करता है। इन राज्यों में राजनेताओं द्वारा प्रचारित भ्रम के विपरीत वहां के अधिकांश लोगों के भाव हिंदी के विरोध में नहीं हैं। जहां उन्हें अपनी भाषा के प्रति प्रेम है, उन्हें उर्दू-मिश्रित हिंदी के बजाय संस्कृतनिष्ठ हिंदी अपनी भाषाओं के निकट लगती है।

जहां तक हिंदी का सवाल है, वह निरंतर संस्कृत, उर्दू सहित अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण कर और अधिक पुष्ट हो रही है। अत: हिंदी में संस्कृत, उर्दू आदि के शब्दों पर अलग से बहस कर सकते हैं, लेकिन पूर्वग्रहों से ग्रस्त लोग जनमानस को भ्रमित कर हिंदी का भला करने के स्थान पर उसे कमज़ोर करते हैं, जो एकदम स्वीकार्य नहीं है।

हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिले हुए 60 वर्ष से भी अधिक हो गये पर दुर्भाग्यवश कार्यान्वयन के मूल में हम आज भी हिंदी के अक्षरों, सरल/क्लिष्ट शब्दों, व्याकरण व अनुवाद आदि से आगे नहीं बढ़ सके हैं। हिंदी के विद्वानों द्वारा/के लिए जितने कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, उनमें कहीं आंकड़ों पर विवाद होता है और कहीं उनका भाषाई स्तर इतना ऊंचा कर दिया जाता है कि एक सामान्य नागरिक उसके साथ सहजता से जुड़ नहीं पाता। न्यूनाधिक यही परिस्थिति आजकल सामाजिक माध्यमों पर हिंदी के बारे में जितने संवाद या विवाद होते हैं, उनमें है।

भाषा कोई भी हो और कितनी ही सरल हो, उसे लिखने, पढ़ने और उसकी सही व्याकरण जानने में समय तो अवश्य ही लगेगा। अखिल भारतीय सेवाओं में देश के हर प्रांत से लोग आते हैं, जिन्हें अपनी मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी

का ज्ञान होता है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार ऐसे लोगों को प्रशिक्षित कर हिंदी में कार्य करने हेतु प्रवीण बनाने में जितना समय लगता है, उतने समय में उन्हें पत्राचार माध्यम द्वारा या सांयकालीन शिक्षा संस्थानों से प्रबंधन या किसी अन्य क्षेत्र में और बड़ी योग्यता मिलने की संभावना भी रहती है। ऐसी परिस्थिति में युवा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वे योग्यताएं प्रथम विकल्प होती हैं, जो उन्हें ऊंचे पदों तक ले जा सकती हैं। हिंदी सीखने से भले ही उनके काम करने की गति बढ़ जाय, उसके कारण उनके वैयक्तिक और व्यावसायिक विकास को भी गति मिलेगी, ऐसा बहुत कम देखा गया है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह केवल और केवल सरकारी विभागों, संस्थानों और संगठनों के ढांचे पर खड़ी हुई है। इसका प्रवाह अहिंदी भाषी प्रदेशों में तो क्या, हिंदी भाषी प्रदेशों के सामान्य नागरिक तक भी अब तक नहीं पहुंचा है। ये वे लोग हैं जो बचपन से यह सीखते हैं कि यदि आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान है, तो आप समाज के अगुवा व आभिजात्य लोगों की श्रेणी में आते हैं। सरकारी-तंत्र में प्रवेश करते ही, उनकी अंग्रेजी-ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है। उनकी कार्यक्षमता का आकलन भी संगठन की उन्नति में योगदान ही निर्धारित करता है, न कि राजभाषा। ऐसे में अहिंदी भाषी राज्यों के लोगों के पास हिंदी में काम न करने का सबसे बड़ा बहाना हिंदी भाषी अधिकारियों का हिंदी में काम न करना होता है। परिणामस्वरूप राजभाषा का ध्वज हिंदी विभाग के कंधों पर बना रहता है, जो वे हर वर्ष 14 सितंबर को निष्ठापूर्वक फहराते रहते हैं। यह औपचारिकता कभी एक सप्ताह, कभी एक पखवाड़ा और कभी-कभी माह भर चलती है और उसमें प्रतिभागिता को उपलब्धि मानकर राजभाषा विभाग वर्ष भर आत्ममुग्ध बना रहता है।

यहां यह कतई न समझा जाय कि राजभाषा-कर्मियों ने अपनी ओर से राजभाषा के प्रचार-प्रसार में कोई कमी रखी है, लेकिन यह भी तथ्यपूर्ण है कि आज तक अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो सके हैं। राजभाषा- कार्यान्वयन में कुछ लोग दंड के प्रावधानों के प्रति आह्वान कर रहे हैं, उन्हें मैं सफलता हेतु शुभकामनाएं देता हूं, पर दुर्भाग्यवश मुझे ऐसा कुछ होने

की संभावनायें बहुत क्षीण दिखाई दे रही हैं। वैसे भी मैं अपने सतर्कता विभाग के अनुभव से कह सकता हूं कि जहां किसी भूल या गलत काम के लिए लोगों को संगठन द्वारा पदच्युत या पदावनत तक कर दिया जाता है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार आदि कार्यकलापों में कोई कमी नहीं आई है। वैसे भी कर्मचारियों में सतर्कता विभाग की सकारात्मक छवि बनाने के लिए वहां दण्डात्मक सतर्कता के स्थान पर निवारण हेतु संगठन की प्रणालियों व प्रक्रियाओं को निरंतर सुदृढ़ करने पर अधिक जोर होता है। कर्मचारियों को निकाल बाहर करना कही भी उचित विकल्प नहीं माना जाता, चूंकि एक व्यक्ति को एक स्तर तक विकसित करने में संगठन की बहुत लागत आती है। दंड आदि से एक विशाल समूह हतोत्साहित भी होता है, अत: हर व्यावसायिक संस्थान में वह अधिकांशत: अंतिम विकल्प ही होता है।

राजभाषा कार्यान्वयन में नियमों के उल्लंघन पर यदि आनुपातिक दंड का प्रावधान कर भी दिया जाय तो क्या न्यायालयों में ऐसी सजा को सही ठहराया जा सकता है? साथ ही राजनेताओं को बैठे बिठाये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा मिल जायेगा जो देश के वर्तमान राजनीतिक माहौल में आग भड़काने में पूर्णत: सफल रहेगा। अत: इन विषयों का भी ध्यान रखना होगा।

यदि दंड का प्रावधान होगा, तो उन प्रावधानों के

आलोक में (क्षमा याचना सहित कह रहा हूं) हिंदी कार्यान्वयन का कार्य, संबंधित विभागाध्यक्ष स्वयं ही सम्भाल लेंगे। क्या ऐसी स्थिति में हिंदी अधिकारियों की आवश्यकता रहेगी या वे निरीक्षक बनकर काम करेंगे?

सोचने का विषय यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित हिंदी-इतर-भाषी अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी में काम करने योग्य बनने में समय तो लगेगा। अत: मेरा मानना यह है कि जो प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना के साथ राजभाषा कार्यान्वयन की अपेक्षा रखी गई है, वह सोच समझकर देश के उच्चतम स्तर के नेतृत्व द्वारा रखी गई है। उक्त परिधि में आप एक राजभाषा-अधिकारी के रूप में संगठन में राजभाषा का ध्वज ऊंचा कर सकते हैं, तो वह आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि होगी।

कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदी में काम करने हेतु सही माहौल व प्रश्रय नहीं मिल रहा, पर अनेक संगठन ऐसे भी हैं जहां राजभाषा अधिकारी जानबूझकर अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ काम नहीं कर रहे हैं या विभाग के माध्यम से वे अपने निहित व्यावसायिक हितों का विस्तार कर रहे हैं, उनका क्या? जहां अधिकांश राजभाषा-अधिकारी अपनी भूमिका में अभेद्य कवच बनकर अपने संगठन के अधिकारियों व उसमें किये जाने वाले हिंदी कार्यों के प्रति पूर्ण स्वामित्व (अनेक बार कुछ अधिक ही संवेदनशील) दिखाते हैं, वहीं कई महानुभावों को आनंद आता है जब संसदीय समितियों द्वारा उनके वरिष्ठ अधिकारियों का अपमान किया जाता है। कोई भी व किसी का भी अपमान राजभाषा-विभाग के प्रति नकारात्मक संदेश ही भेजेगा, यह स्वाभाविक है। परिणामस्वरूप वरिष्ठ अधिकारी सारा क्षोभ राजभाषा कर्मी पर निकालते हैं और खाई बढ़ती जाती है, जिससे राजभाषा कार्यान्वयन प्रभावित होता है।

सरकारी निगम क्षेत्र आदि में अच्छी तनख्वाह मिलती है, अत: प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन व उनमें पुरस्कार आदि मिलने से किसी व्यक्ति की विशेष कमाई नहीं होती। सार्वजनिक रूप से पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अपनी उपलब्धियों पर जो गर्व उन्हें होता है वह पुरस्कृत अधिकारियों/ कर्मचारियों को राजभाषा का सच्चा दूत बना देता है। यह दाम नीति जिससे उच्चतम स्तर पर सम्मान मिले, ऐसे कर्मचारियों के सहयोगियों व समवयस्कों को उनका प्रतिस्पर्धी बनाकर हिंदी में काम करनेवाले लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी करती है।

जहां तक भेद नीति की बात है, उसके माने यह नहीं है कि कर्मचारियों को आपस में लड़वा दें पर इसके माध्यम से उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना तो पैदा कर ही सकते हैं। यह देखा गया है कि केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष जब दो समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान एक की प्रशंसा करते है, तो दूसरे व्यक्ति में उसी तरह का सम्मान पाने की भावना तीव्र हो जाती है।

भारत सरकार की राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना की नीति रही है और मैं सदा से इसका समर्थक रहा हूं। राजभाषा विभाग द्वारा प्रसारित प्रपत्र में यह भी कहा गया है कि जहां राजभाषा कार्यान्वयन में जानबूझकर अवहेलना हो, वहां दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय। सफल राजभाषा कार्यान्वयन हेतु पारम्परिक सोच यानी प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना की सामनीति की परिधि का विस्तार करते हुए नवोन्मेषी सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कुछ प्रयास जो सफल हो सकते हैं, वे संक्षेप में यहां दे रहा हूं;

1. राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा हिंदी में कुछ ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जायं जो प्रबंधन, तकनीकी, वितरण-श्रृंखला-प्रबंधन, विपणन, वित्त प्रबंधन, सम्प्रेषण तथा अनुसंधान-विकास आदि विषयों पर हों। इनमें संकाय के रूप में अपने अंदरूनी अहिंदी/ हिंदी भाषी वक्ताओं को बुला सकते हैं। यदि ऊंचे स्तर के अधिकारी हों, तो बाहरी संकायों के बारे में भी विचार किया जा सकता है।
2. सरकारी संस्थान अपने निगमीय सामाजिक दायित्वों के तत्त्वावधान में अपने कर्मचारियों के अलावा अपने हितधारकों व सामान्य जनता के बीच जाकर हिंदी में कार्यक्रम आयोजित करें। उसमें मूल हिंदी लेखन, पत्र/मसौदा लेखन,

सम्प्रेषण तथा अन्य कई विषय लिए जा सकते हैं, जिससे समाज में भी हिंदी के प्रति ललक और उसका सम्मान बढ़े। इसके लिए स्थानीय स्वशासन से जुड़े लोगों के साथ मिलकर समय समय पर संगठन द्वारा समाज के लिए किये जा रहे, हिंदी कार्यान्वयन सम्बंधी प्रयासों का मूल्यांकन करने की व्यवस्था हो व उसके लिए समुचित पुरस्कार भी दिये जाय।

3. विश्वविद्यालयों के हिंदी-संकाय से जुड़े छात्रों के विकास और नियुक्तियों के अवसर बढ़ाने के लिए उनके लिए प्रशिक्षु या अप्रैंटिस जैसी संभावनाओं पर विचार हो। उन्हें विभागीय नियमावलियों, मसौदा-पत्र व अन्य अगोपनीय पत्रों के अनुवाद आदि से संबंधित छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिये जाय। ग्रीष्मकालीन अवकाश में ऐसे विषयों पर उनसे काम लेने के अलावा, संगठन की हिंदी पत्रिका के संकलन व सम्पादन से भी उन्हें जोड़ा जा सकता है। उन्हें इसके लिए अनुभव-प्रमाणपत्र के अलावा पारिश्रमिक भी मिलेगा तो वे प्रोत्साहित व प्रेरित होकर हिंदी के प्रचार प्रसार में सहायक होंगे।
4. हिंदी कार्यान्वयन के लिए अलग से बजट का प्रावधान हो।
5. उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा व विभागीय लेखा परीक्षण में भी बाहरी कार्यस्थलों के निरीक्षण के दौरान हिंदी कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया जाय।
6. विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के विभाग-प्रमुखों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनके विभाग में किये जा रहे नवोन्मेषी प्रयासों का प्रस्तुतिकरण वरिष्ठतम प्रबंधन के समक्ष समय-समय पर किया जाय।
7. ऐसे निजी संस्थान जो हिंदी कार्यान्वयन क्षेत्र में बिना लाभ-हानि के कार्यरत हैं, उन्हें राजभाषा विभाग प्रमाणित करे, जिनकी सेवाएं दूसरे संगठन भी ले सकते हैं। इसके लिए मापदण्ड बनाने के लिए व्यावसायिक सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं या मंत्रालयों व संगठनों के वरिष्ठ राजभाषा-सेवियों की सहायता ले सकते हैं।

ये मेरे निजी विचार हैं, जिनके पक्ष-विपक्ष में मंथन हो सकता है, लेकिन राजभाषा-कार्यान्वयन की चुनौतियों को देखते हुए नवीन विस्तृत सोच की आवश्यकता है। उपर्युक्त सुझावों में सुधार किये जा सकते हैं और उनमें कुछ अन्य सुझाव जोड़े भी जा सकते हैं। यदि हमारे ये विचार गृह-मंत्रालय राजभाषा विभाग को प्रेषित करेंगे, तो हो सकता है, राजभाषा कार्यान्वयन को एक नयी दिशा मिले और इससे जुड़े लोगों में एक नवीन ऊर्जा का संचार हो। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय या तृतीय अध्याय आदि बहुत हो चुके, उन्हें मूर्त-रूप देने के लिए एक ऐसी समावेशी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे राजभाषा हिंदी को उसका निर्विवादित सम्मानित स्थान मिल सके।

ravikantagaur@gmail.com
उप महा प्रबंधक (क्रय)(सेवा निवृत्त)
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. मुम्बई

क्या आप 'आसरा मुक्तांगन' के परिवार में शामिल होना चाहते हैं?

'आसरा मुक्तांगन' की सदस्यता स्वीकार कर आप इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। भारत और नेपाल हेतु सदस्यता दरें-

एक प्रति:	30/-	वार्षिक सदस्यता:	350/-
त्रैवार्षिक सदस्यता:	1000/-	आजीवन सदस्यता:	6000/-

मानद संरक्षण: 1,00,000/-

(डाक/कूरियर 'आसरा मुक्तांगन' द्वारा वहन किया जाएगा)
(चेक ड्राफ्ट 'आसरा मुक्तांगन' के नाम से ही देय होंगे)
बैंक का नाम- Bank of India (Mumbai)
A/c No.: 030120110000055
IFSC: BKID0000301

'आसरा मुक्तांगन'
पोस्ट बैग नं.-1, कलवा ठाणे-400605 (महाराष्ट्र)
Email : aasaramuktangan@gmail.com
Mobile : 8108400605/9029784346

प्रो. रवि शुक्ला

खाड़ी देशों में हिंदी

सहजता और सरलता की स्वीकार्यता सदैव विकास की द्योतक रही है। जब आप भारत के किसी भी अंतरराष्ट्रीय विमानतल से संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन या खाड़ी भाग के किसी भी देश में उतरते हैं तो अनायास कुछ शब्द आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 'मुश्किल नहीं, अच्छा, भाई टैक्सी कहाँ से मिलेगा, तुम कहाँ से आया है' आदि शब्द आपको विदेशी धरती पर देसी होने का भाव देते हैं। लेकिन भाव का महत्त्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब आप किसी टैक्सी में बैठें और हिंदी का रेडियो चल पड़े, जब किसी मॉल में जाएँ और अचानक माहौल भारतीयनुमा लगने लगे। सड़कों से गुजरते, बसों में चलते, मेट्रो में बैठते कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी विदेशी धरती पर या खाड़ी देशों में सैर कर रहे हैं, रह रहे हैं, नौकरी या व्यापार कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि में भारत, भारतीयता और हिंदी है। वह हिंदी जो भारत से मिठास लेकर खाड़ी देशों की हवाओं में घुल जाती है और साँसों के रास्ते मन में 'हिंदीयता' जगाती है।

भाषा के महत्त्व से कौन परिचित नहीं है। भाषा व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और संस्कृति का संवाहक होती है और यह एक राष्ट्र की पहचान का हिस्सा भी होती है। यह पहचान उस देश के हर नागरिक के साथ प्रवासी बनकर सफर करती है। इसी रूप में हिंदी भारत के साथ ही खाड़ी देशों में भारतीयता ही नहीं हिंदीयता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। इन समुदायों के लोग हिंदी को अपनी मूल भाषा के रूप में अपनाते हैं और इसका प्रसार करते हैं। उनके बीच में हिंदी का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में होता है और अब यह एक पारंपरिक धारा का हिस्सा बन चुका है।

खाड़ी देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ये वो देश हैं जहाँ भारतीयों की

बढ़ती संख्या केवल आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का पैमाना तय नहीं करती अपितु भाषाई दृष्टिकोण पर भारतीय भाषाओं में हिंदी का पुरजोर समर्थन भी करती है। खाड़ी देशों का भाषाई लचीलापन, वैश्विक पैमाने पर श्रमिक, व्यापारी, शिक्षक और सैलानियों के माध्यम से बलवती होती हिंदी संवाद का एक मजबूत माध्यम बनकर उभर रही है। हिंदी के साथ-साथ कदमताल करती अन्य भारतीय भाषाओं में बांग्ला, तमिल, मलयालम आदि सुनी और बोली जा सकती हैं। लेकिन इनका अपना एक सीमित क्षेत्र होने के कारण इनके बीच आपसी संवाद हेतु हिंदी सेतु का काम करती है। दक्षिण भारत से प्रवासी बनकर आए आमतौर पर अपनों में भी हिंदी का प्रयोग कर ही लेते हैं। भारत के साथ ही भारत के पड़ोसी देशों से भी यहाँ प्रवासियों की संख्या देखी जा सकती है। जिनकी आम बोलचाल में हिंदी समाहित है, यह एक प्रमुख कारण है कि हिंदी को इन खाड़ी देशों में विविध रूपों में देखा जा सकता है। इसी कारण 2019 में अबु धाबी ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपना लिया है। जिसका सबसे बड़ा लाभ श्रमिक वर्ग को

मिला है। भिन्न प्रकार के 'कॉल सेंटर्स, सर्विस सेंटर्स' पर हिंदी का विकल्प आसानी से देखा जा सकता है। इन देशों में हिंदी के चलन का एक कारण भारतीय फिल्मों को माना जा सकता है। इन देशों में हिंदी के चैनल, रेडियो स्टेशन, पत्रिकाएँ भी मौजूद हैं। यहाँ पर हिंदी में बनी फिल्में और टेलीविजन प्रोग्राम भी दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करते हैं और हिंदी के प्रसार में मदद करते हैं।

खाड़ी देशों में हिंदी से संभावनाएं विकसित होने लगी हैं। इन संभावनाओं में विविध क्षेत्र देखे जा सकते हैं। हालांकि ये क्षेत्र अभी अधपके और नवजात बालक की तरह हैं, जिसके विकास का वातावरण निर्मित होने में समय लगेगा। इन देशों में संचार, शिक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजन वह माध्यम हैं जिनसे न सिर्फ हिंदी का वातावरण तैयार हो रहा है अपितु हिंदी की उचित परवरिश भी होती नजर आ रही है। यहाँ के शासक भी हिंदी के प्रति अपना सकारात्मक नजरिया रखते हैं। उनकी नजर में भारत और हिंदी दोनों ही महत्त्वपूर्ण है।

जागरण.कॉम की 2022 की एक खबर के आधार पर खाड़ी देशों में भारतीयों पर एक नजर डालें तो यूएई 34.25 लाख, सऊदी अरब 25.94 लाख, कुवैत 10.29 लाख, ओमान 7.81 लाख, कतर 7.46 लाख, बहरीन 3.26 लाख हैं। इनमें से संयुक्त अरब अमीरात को उदाहरण के रूप में देखें तो भारतीयों की संख्या 34.25 लाख की है, जो कुल आबादी का 34.06 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कुल आबादी में यह संख्या भारतीयता को मजबूत कर भारत की भाषाई विविधता को भी बल प्रदान कर रही है। कारण संख्या जितनी अधिक होगी, संवाद के माध्यम भी उतने होंगे, जिसमें भाषा अनिवार्य है। आमतौर पर हर भारतीय उतनी अच्छी तरह अंग्रेजी से नहीं जुड़ पाता जितनी जल्दी हिंदी से जुड़ जाता है, यही एक कारण इन देशों में हिंदी की स्वीकार्यता के हैं। उपर्युक्त प्रतिशत में दक्षिण भारत की संख्या अधिक है लेकिन रोचक बात यह है कि जब भारत से कोई यहाँ आता है तो वह भारतीय उत्तर-दक्षिण - पूर्व - पश्चिम के क्षेत्रवाद के भेद को छोड़कर संवाद की कला सीख जाता है जिसका माध्यम बनती है हिंदी। भले ही वह कितनी ही दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग क्यों न हो, वह इसलिए क्योंकि यहाँ भाषा का व्याकरणदोष नहीं अपितु संवाद के महत्त्व को समझा जाता है।

खाड़ी देशों में विद्यालयीन शिक्षा, हिंदी के प्रसार में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीबीएसई विद्यालयों की अधिकता ने हिंदी को पालक वर्ग के बीच देश से बाहर जोड़ कर रखा है। हिंदी के साथ अन्य भाषाई विकल्प शामिल होते हुए भी विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति उत्साह देखा जा सकता है। कई अहिंदी भाषी पालक भी अपने बच्चों को उत्साहित होकर हिंदी द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। एक विद्यालय का उदाहरण समझें तो कुल 1958 विद्यार्थियों में से कुल 1150 विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा का विकल्प चुन रखा है। इससे यह स्पष्ट है कि हिंदी के विस्तार के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित हो रहा है।

साहित्य लेखन, भिन्न सांस्कृतिक पटल और उनके आयोजन हिंदी को स्थानीय स्तर पर विस्तार रूप देने का कार्य कर रहे हैं। कई ऐसी संस्थाएँ हैं जिनके माध्यम से हिंदी के सम्मेलन, हिंदी की गोष्ठियाँ, हिंदी की पत्रिका और भिन्न माध्यमों से हिंदी का पोषण हो रहा है। यहाँ भारतीयता और हिंदीयता का पौधा जिस रूप में वृक्ष आकार ले रहा है उसमें केवल भारतीय ही नहीं अपितु यहाँ के मूल निवासियों की भी बड़ी भूमिका है। कई ऐसे मूल नागरिक हैं जो धारा प्रवाह हिंदी बोलते और समझते हैं।

भारत सरकार की अपनी नीतियाँ भी इन देशों में हिंदी को बल दे रही हैं। लेकिन वैश्विक आधार पर दूतावासों द्वारा कुछ और प्रयास हिंदी के लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं। एक तरफ हिंदी वैश्विक रूप में अपने पैर पसार रही है तो कुछ नियम-नीतिगत सख्तियाँ उड़ते परों को कतरती नजर आती हैं। दूतावासों की तरफ से साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक रूप में साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षिक आयोजनों को बढ़ावा देना होगा। खुद में लचीलापन लाना होगा कि उनके माध्यम से हिंदी के प्रसार के अवसर सिर्फ औपचारिकता बनकर न रह जाएँ। औपचारिकता से हिंदी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार की सकरात्मकता ही हिंदी को इन देशों में निर्मित संभावनाओं के सम्मुख खड़ी चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा।

ravishukla789@gmail.com
हिंदी विभाग प्रमुख,
भारतीय विद्या भवन,
अबु धाबी, संयुक्त अरब अमीरात

ऋता सिंह

हिन्दी की प्राथमिक शिक्षा और चुनौतियाँ

बच्चा तो माँ के गर्भ में रहते हुए ही उसके भावों को समझने की कला सीख जाता है। जन्म के पश्चात माँ की गोद, माँ का स्वर और माँ का स्पर्श ही उसकी दुनिया होती है। माँ ही उसे अपनी मातृभाषा में दुलारती है और लोरियाँ सुनाकर सुलाती है। यह अपना एक अलग आनंददायी संसार है। बच्चे का भी और माँ का भी।

अब सवाल यह उठता है कि बच्चा आज की दुनिया में अपनी मातृभाषा के कितने करीब होता है? आज अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाने की ऐसी हवा चली है कि बड़े शहरों की माताएँ उधार की भाषा अंग्रेजी में गीत गाती हैं, अपने बच्चे से अंग्रेजी में बातें करती है और पुचकारती है। यही कारण है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से दूर होने लगे हैं। उन्हें सबसे पहले अंग्रेजी सिखाई जाती है। कारण स्पष्ट है कि आगे अंग्रेजी विद्यालयों में ही तो दाखिला लेना होता है।

राजभाषा के विद्यालयों में दिन-ब-दिन छात्रों की संख्या घटती जा रही है। हम अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो आज से चालीस वर्ष पूर्व मराठी माध्यम के विद्यालयों में एक कक्षा में सौ छात्र भी देखे गए हैं। पर अब छात्रों की संख्या तीस-पैंतीस प्रति कक्षा रह गई है। इसमें भी अब सेमी इंग्लिश माध्यम होने के कारण अंग्रेजी की ओर झुकाव अधिक है। फिर यहाँ भी अंग्रेजी का आकर्षण मातृभाषा को दबा देता है।

इन सबके बीच चाहे अंग्रेजी हो या मराठी या अन्य राजभाषा के माध्यम का विद्यालय हो, हिंदी की बारी विलंब से ही आती है।

छात्र की भाषा पर मातृभाषा का तो प्रभाव होता ही है फिर अंग्रेजी का अलग भूत सवार रहता है और ऐसी स्थिति में हिंदी की प्राथमिक शिक्षा पर प्रश्न चिह्न लगा रहता है।

आज हर बड़े शहर में गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है। ये संस्थाएँ आई.सी.एस.सी और सी.बी.एस.सी. बोर्ड द्वारा संचालित होती हैं।

दोनों बोर्ड में हिंदी विषय को प्राथमिकता तो दी जाती है और छात्रों को सीनीयर के.जी. से ही हिंदी सिखाने पर जोर भी दिया जाता है लेकिन शिक्षक इस भाषा के साथ कितना न्याय करने में समर्थ होते हैं यह एक यक्ष प्रश्न है।

फिर सवाल यह उठता है कि पाँच-छह वर्ष की आयु से हिंदी सीखने पर भी छात्र हिंदी बोल या लिख क्यों नहीं पाते?

आइए आज इस विषय पर प्रकाश डालते हैं।

आज learning = marks का ज़माना बन गया है। उतना ही पढ़ाया जाता है जिससे अंक आ जाएँ। छात्र किसी प्रकार सब कुछ रटकर परीक्षा भी देते रहते हैं।

छोटी कक्षाओं में साल भर में स्वर-व्यंजनों और मात्राओं का परिचय दिया जाता है जो अधूरा-सा ही रह जाता है और कच्ची नींव के साथ छात्रों को आगे की शिक्षा दी जाने लगती है। हमारी शिक्षा नीति में किसी को अनुत्तीर्ण कर एक ही कक्षा में दोबारा रखने का नियम नहीं है। अत: कई छात्र स्वर-मात्राएँ और व्यंजन ठीक से सीख नहीं कर पाते।

छोटे बच्चों को स्वर और मात्राओं की पहचान कराने के बाद मौखिक रूप से अनेक शब्द उच्चारित करवाए जाने की आवश्यकता होती है। तब जाकर बच्चा ध्वनियों को सीखता है तथा उन्हें पहचानता है। इसके बाद व्यंजन सिखाए जाएँ और नींव पक्की होने पर व्यंजनों में मात्रा लगाने का अभ्यास करवाना आवश्यक होता है।

वस्तुस्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। शिक्षक वर्ग में जल्द से जल्द लिखवाने का अभ्यास भी करवाने लगते हैं। इस कारण अधिकतर छात्रों की स्वर-व्यंजन-मात्रा आदि की नींव कच्ची ही रह जाती है।

वर्णमाला सीखने के पश्चात बारहखड़ी या ककहरा का

अभ्यास अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह क्षेत्र अधिकतर विद्यालयों में उपेक्षित ही है। फलस्वरूप पहली कक्षा से वाक्य पठन, वाक्य लेखन प्रारंभ कर दिए जाते हैं। नींव अभी भी कच्ची होने के कारण छात्र एक ही वर्ण में दो मात्राएँ लगाने की भी भूल करते हैं और कभी-कभी तो स्वरों में भी मात्रा लगा बैठते हैं।

हिंदी की अधिकांश पुस्तकें दिल्ली अथवा हिंदी बोली जानेवाले क्षेत्रों में छापी जाती हैं जहाँ मूल रूप से हिंदी का प्रचलन अधिक है। परंतु वही पुस्तकें जब अन्य राज्यों में सिखाई जाती है तब छात्र मातृभाषा का प्रभाव होने के कारण पढ़ने, लिखने, उच्चारण में कठिनाई महसूस करते हैं। कई बार वे भाषा को समझ भी नहीं पाते हैं।

कच्ची नींव के साथ छात्र अगली कक्षा में पहुँचाया जाता है परंतु उसकी स्थिति बैसाखी लेकर चलने लायक हो जाती है। वह बोलते, लिखते समय निरंतर लड़खड़ाता रहता है। वर्तनी की ढेर सारी गलतियाँ करता है।

शिक्षकवर्ग को भी निर्धारित समय के भीतर कुछ निर्धारित पाठ करवाने की बाध्यता तो निश्चित ही होती है परंतु बिल्कुल छोटी कक्षाओं में भाषा की इकाइयाँ ही अगर कमजोर रह जाएँ तो फिर कितने भी पाठ करवा लिए जाएँ, बच्चों की हिंदी भाषा की नींव बहुत कच्ची ही रह जाती है। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में घर पर भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। फिर जब प्रतिवर्ष छात्र अगली कक्षा की ओर बढ़ जाता है तो अभिभावक भी निश्चिंत हो जाते हैं। भाषा सिखाने की पूरी जिम्मेदारी शिक्षक पर ही आ जाती है। घर पर हिंदी का कोई वातावरण होता ही नहीं है।

छात्र जब लिखने, बोलने, पढ़ने की कला में पीछे रह जाता है तो उसका भाषा के प्रति रुझान कम होने लगती है। वह भाषा से दूर भागता है।

छात्रों को बचपन से कहानियों से जोड़ने की आवश्यकता है। शिक्षक जब कहानियाँ सुनाएँगे तो छात्र भाषा से जुड़ेगा। कविताओं को लयबद्ध कर सिखाए जाएँ तो छात्र को आनंद की अनुभूति होगी। श्रवण, शिक्षा के क्षेत्र का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पायदान है। घर पर भी नियमित कुछ बालोपयोगी हिंदी कार्यक्रम देखने की आदत डाली जानी चाहिए। डिसकवरी, एनिमल प्लैनेट, हिस्ट्री जैसे टीवी चैनेल से जानकारी बढ़ती है और भाषा का ज्ञान भी।

आज स्थिति ऐसी निर्माण हुई हैं कि छात्र अपने आसपास 'बंबइया टपोरी' भाषा सुनता है। आपस में मित्रगण के साथ इसी तरह की भाषा का उपयोग करता है जिस कारण हिंदी भाषा की गर्दन ही मरोड़ दी जाती है।

आज हिंदी भाषा समाज में ऊँघती हुई लड़खड़ाती दृष्टिगोचर होती है। साधारण व्याकरण से छात्र परिचित नहीं हो पाते हैं। मातृभाषा, राजभाषा, अंग्रेजी और हिंदी इन सभी भाषाओं के बीच दस वर्ष की उम्र तक आते-आते छात्रों की हिंदी भाषा सबसे कमज़ोर रह जाती है।

शिक्षकवर्ग के सामने हिंदी विषय को लेकर कई चुनौतियाँ आज दिखाई देती हैं। पुस्तकों का चयन प्रत्येक प्रदेश की राजभाषा को ध्यान में रखकर किया जाना एक अत्यंत आवश्यक अंग है। मूल रूप से पुख्ता नींव तैयार करने के बाद ही आगे बढ़ना आवश्यक है वरना अत्यंत कमज़ोर पृष्ठभूमि के साथ छात्र दसवीं तक पहुँच जाते हैं और तब वर्तनी की गलतियाँ, भाषा संबंधी व्याकराणिक गलतियाँ निरंतर बनी ही रहती हैं।

आज अगर देश भारत कहलाता है तो हर भारतीय को भारत की अधिकांश जनता द्वारा बोली जानेवाली इस हिंदी भाषा से जुड़ना ही होगा। इसकी ज़िम्मेदारी परिवारवाले और विद्यालय दोनों को लेनी होगी वरना वह दिन दूर नहीं जब देश में अंग्रेजी का ही बोलबाला होगा। हमें इससे बचने का हर मार्ग अपनाना होगा।

ritanani1556@gmail.com
वरिष्ठ भाषाविद, पुणे

कहानी

सुधा भारद्वाज

परम आनंद

गुलाबी ठंड वाले इतवार को पैर पसारकर अदरक वाली चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आज वह बेहद सुकून महसूस कर रही थी। नाश्ते की तैयारी वह रात में ही कर चुकी थी। लंच पर उन्हें बाहर जाना था और लंच अगर 'हेवी' हो जाए तो रात के खाने में सूप और सलाद से ही काम चल जाता था।

उसकी गुनगुनाहट पर पंखे पर चढ़ी धूल ने एकाएक ब्रेक लगा दिया पर दैनिक काम की छुट्टी के अहसास में इतना जोश था कि बिना समय गँवाए उसने स्टूल पर चढ़कर पंखा साफ कर दिया। पंखा पोंछते-पोंछते दीवार पर इधर-उधर लटके जाले भी आँख में खटकने लगे, सो लगे हाथ जाले भी साफ हो गए। रात को मेहमानों के लिए निकाली गई क्रॉकरी की याद आते ही उसके पैर खुद-ब-खुद तेज़ी से किचन की ओर बढ़ गए। बाई के हाथों टूट जाने के डर से वह नई क्रॉकरी खुद ही साफ कर लेती थी। चूँकि बिटिया के जागने का समय हो रहा था इसलिए जल्दी-जल्दी हाथ चलाते हुए उसने क्रॉकरी धो-पोंछकर यथावत रखना शुरू ही किया था कि फोन बज उठा। बाई का फोन था 'भाभी मैं आज नहीं आयेंगी, छोटे वाले को बुखार आयेला है।' न आने का कारण भी ऐसा बताया गया था कि वह 'अच्छा' के सिवा और कुछ भी न बोल सकी।

लंबी साँस भरते हुए वह बड़बड़ाने लगी 'लो हो गया आराम!' मैडम थोड़ा-सा पहले फोन कर देती तो कम से कम वह अपने सफाई अभियान को अगले सप्ताह तक टाल देती लेकिन नहीं, हमेशा आखिरी मिनट पर सूचित करने की बाई की आदत से वह अच्छी तरह वाकिफ है। '...आने दो कल उसको, ठीक से उसके दिमाग में बात बैठानी पड़ेगी कि अपनी अनुपस्थित रहने की जानकारी थोड़ी जल्दी दे दिया करे।'

बरतनों का ढेर साफ करते-करते बीच में पतिदेव की चाय की फरमाइश, बिटिया को ब्रश करवाने की कसरत और दूध पिलाने के भारी भरकम काम और आदत छूट जाने की वजह से झाड़ू-पोछे की कवायद ने उसे निढाल कर दिया। बिटिया को नहलाने की ज़िम्मेदारी पति पर जबरन धकेलते हुए नाश्ता निपटाते-निपटाते घड़ी पर नजर पड़ी तो बड़ी राहत मिली। सोचा चलो थोड़ा समय है अभी लंच के लिए निकलने में, सो कमर सीधी कर ली जाए। वह तेज़ी से जाकर बिस्तर पर लेट जाना चाहती थी ताकि एक पल भी आराम का कम न हो जाए।

अपने कमरे में जाते ही पैर में मिट्टी लगी तो सोचा कि झाड़ू में मिट्टी छूट गई है पर पोछा भी तो लगाया था, फिर कैसे...? ध्यान से देखा तो पूरे कमरे में मिट्टी फैली हुई है और यह तो बालकनी में लगे पौधों के गमले की मिट्टी है। उसे लगा ईश्वर ने आखिर स्त्रियों के जीवन में कभी न खत्म होने वाला काम क्यों लिख दिया है? कमरे की दशा देखकर वह रुआँसी हो रही थी कि अचानक नन्ही भागती हुए बालकनी से आई। नहाई-धोई गुड़िया रानी के चेहरे और कपड़े पर खूब मिट्टी लगी हुई थी। उसे लगा आज तो उसकी लाड़ली खूब जोर से चपत खाएगी। वह तमतमा कर उसकी ओर लपकी ही थी कि बिटिया की नन्ही-नन्ही आँखों में कौतूहल की चमक देखकर ठगी-सी रह गई। बिटिया ने जादूगर की तरह धीरे-धीरे मुस्कराते हुए अपनी मुट्ठी खोली और जोर-जोर से किलकारी लगाते हुए उछल-उछल कर मिट्टी फर्श पर बिखेर दी।

अचानक दृश्य जादू-सा बदल गया। उसे लगा बेटी के आनंद के साथ मिलकर मिट्टी तो मखमली कालीन में बदल गई है। परम आनंद याने ईश्वर ही ना! ईश्वर को अपनी बेटी की निश्छल हँसी में वह साक्षात देख रही थी और उस मखमली कालीन पर बिटिया के साथ लोट-पलोट करती वह परम आनंद का अनुभव कर रही थी।

bsudhasanjay@gmail.com
सह-संस्थापिका, हिन्दी आंदोलन परिवार

डॉ. ऋतु शर्मा नंनन पांडे

बिन बुलाई चुड़ैल

श्रीमान माईरमन एक लेखक थे। वह बहुत समय से बौनों और चुड़ैलों पर कहानियाँ लिख रहे थे। उनकी कहानियों की चर्चा गाँव से लेकर शहर तक होती थी। उनकी कहानियों की सबसे ज्यादा प्रशंसक थी उनकी बिल्ली 'विप।' श्रीमान माईरमन जैसे ही कोई नई कहानी लिखते, सबसे पहले वह अपनी बिल्ली विप को पढ़ कर सुनाया करते थे। विप को हमेशा लगता था कि श्रीमान माईरमन कभी कोई झूठी कहानी नहीं लिखते। उसे अपने आप पर बड़ा गर्व होता था क्योंकि उसे पता था कि बहुत कम बिल्लियों के मालिक बौनों और चुड़ैलों के बारे में इतना ज्यादा जानते हैं, जितना उसके मालिक जानते हैं। वह अपने मालिक से बहुत प्यार करती थी।

एक शाम विप अपनी मखमली टोकरी में आराम से लेटी हुई थी और उसके मालिक कहानी लिखने में व्यस्त थे। तभी अचानक किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज आई। श्रीमान माईरमन उठे और दरवाज़े की तरफ बढ़े। विप भी बड़े नाजुक ढंग से अपनी पूँछ हिलाते हुए अपने मालिक के पीछे-पीछे चल दी। श्रीमान माईरमन ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उनके सामने बड़ी बड़ी आँखों वाली दो सुंदर-सी चुडैलें अपनी झाड़ू के साथ खड़ी थीं। उनको देख श्रीमान माईरमन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे काटो तो खून न हो। दोनों में से एक चुडैल ने घर में घुसते हुए कहा "हम तुम्हारी कहानियों में हमारे बारे में लिखी झूठी और डरावनी बातों से बिल्कुल परेशान हो गए हैं, तुम हमारे बारे में बहुत अजीब-अजीब बातें लिख कर लोगों को बताते हो, जो बिल्कुल भी सच नहीं हैं।" लेखक महाशय डर के मारे टेबल के नीचे छुपते हुए चुड़ैलो को वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहे थे। अपने मालिक को यूँ चुड़ैलों के डर से टेबल के नीचे छिप जाने से विप को कुछ-कुछ समझ आ रहा था कि उसके मालिक को चुड़ैलों और बौनों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब तक जो भी उन्होंने उनके बारे में लिखा, वे सब मनगढ़ंत कहानियाँ थीं। इसी लिए चुड़ैलें अब उसके मालिक से गुस्सा थीं। दोनों चुड़ैलें लेखक महाशय को तंग करने के लिए जिस टेबल के नीचे श्रीमान माईरमन छिपे थे, उसी के टेबल के नीचे उनके पास बैठ गईं। 'हाँ अब ठीक है, हम तीनों आराम से बातें करेंगे।' दोनों चुड़ैलें आपस में बात करने लगी, 'तुम कहोगी या मैं कहूँ जूलिया?' 'नहीं पहले तुम ही शुरू करो, तब तक मैं हम दोनों के लिए कॉफी तैयार करती हूँ, मैं उड़ते उड़ते थक गई हूँ।' जूटा टेबल के नीचे घुसकर बैठ गई जहाँ वह लेखक महाराज छिप कर बैठे थे, जो उनके बारे में भ्रान्तियाँ लिख रहे थे। 'हाँ तो बात यह है कि हम लोग मकड़ी के जाल वाले पैन केक नहीं खाते और भेड़ के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं खाते। आपके मन में कहाँ से ऐसे ख्याल आते हैं? हम लोग पार्टी में नाचते हैं, चुड़ैलों के खंडहरों में नहीं नाचते, न ही हम बच्चों को रातों को सपनों में आ कर डराते हैं। अक्टूबर महीनों में हम लोगों को डराने नहीं, अपने परिवारों के पास उन्हें देखने जाते हैं, समझे? इसका मतलब कि अब आप इस बारे में अपनी किसी कहानी में नहीं लिखेंगे।' तभी जूटा रसोई में से खाली डिब्बा हाथ में लेती हुई उनकी तरफ लौटी, 'इनकी रसोई में तो कॉफी ही नहीं है' और ऐसा कहते हुए वह भी टेबल के नीचे जूलिया और लेखक के साथ बैठ गई। लेखक को थोड़ा और परेशान करने के लिए उसने अपनी लंबी-लंबी टाँगे लेखक की तरफ पसार दी और अपने हाथों से उनके सिर के बाल सहलाने लगी। श्रीमान माईरमन आज से पहले कभी भी इतने डरे नहीं थे।

विप, लेखक की बिल्ली अपनी टोकरी में बैठ कर इन सबका मजा ले रही थी। वह हमेशा कहते थे कि चुड़ैलें बुरी नहीं होतीं, फिर आज वे क्यों इतने डरे हुए हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था।

अचानक लेखक टेबल के नीचे से निकल कर सोफे का सहारा लेकर उन दोनों चुड़ैलों से थोड़ा-सा हटकर बैठ गए। लेखक को ऐसा करते हुए देख दोनों चुड़ैलें जूलिया और जूटा जोर-जोर से हँसने लगीं। उन्होंने आज से पहले किसी भी मनुष्य को उनसे इतना डरा हुआ नहीं देखा था। वह दोनों भी टेबल से खिसक कर लेखक महोदय के पास सोफे से सट कर बैठ गई। उन्होंने श्रीमान माईरमन के कानों के पास जा कर कहा, 'श्रीमान माईरमन, हम बस अभी चले जाएँगे, पर जाने से पहले हम एक बात का वादा आपसे चाहते हैं कि आज के बाद आप अपना किसी भी किताब में, किसी भी कहानी में हम चुड़ैलों के बारे में इस तरह की अजीब और झूठी बातें नहीं लिखेंगे।' श्रीमान माईरमन ले काँपते हाथों से उनसे माफी माँगते हुए यह वादा किया की वह आज के बाद कभी भी चुड़ैलों के बारे में किसी भी प्रकार की अफवाह अपनी कहानियों में नहीं लिखेंगे। दोनों चुड़ैलें खुश हो कर उड खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी अपनी झाड़ू उठाई और उस पर बैठकर हवा में उड़ गईं। विप अपने मालिक के पास आ कर बैठ गई। श्रीमान माईरमन अभी तक डर से काँप रहे थे। 'हे भगवान अब आप क्या लिखोगे', विप में अपने मालिक की तरफ देखते हुए पूछा। "विप तुम बोल सकती हो?" लेखक ने अपनी बिल्ली की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा। विप ने कहा "पता है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अब तुम्हें बिल्लियों की सच्ची कहानियाँ लिखनी चाहिए और इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी।" 'अरे वाह यह तो बहुत बढ़िया सुझाव है।'

उसके बाद से श्रीमान माईरमन ने बिल्लियों पर कहानियाँ लिखनी शुरू कर दीं। लोगों ने उन कहानियों को भी बहुत रुचि लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। चुड़ैलें भी बहुत खुश थीं। वे फिर कभी लेखक के यहाँ बिन बुलाए कॉफी पीने नहीं आईं।

RituS0902@gmail.com
स्वतंत्र पत्रकार व लेखिका, नीदरलैंड

डॉ. रमेश मिलन

हज़ारों वर्षों पुराना ज़िंदा दैत्य-वुली मैमथ

कनाडा के युकोन में एक, संरक्षित 'बेबी मैमथ' की खोज हुई है जो 30,000 से अधिक वर्ष पहले जीवित था। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी अमेरिका में खोजा गया यह जीव सबसे पुराना मैमथ है। इस बेबी मैमथ का नाम 'Nun choga', जिसका होता है 'बिग बेबी एनीमल।' यह मैमथ माता जंगली घोड़ों, गुफा के शेरों और विशाल स्टेपी बाइसन के साथ रहती थीं। मैमथ युकोन में हजारों वर्षो पहले विद्यमान थे।

यह मैमथ पर्याफ्रोस्ट में जम गया था जिसके परिणामस्वरूप इसके अवशेष संरक्षित हो गए। पर्याफ्रोस्ट धरती की सतह या उससे नीचे की उस भूमि को कहते हैं, जिसका तापमान 2 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए लगातार शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। विशेष बात यह है कि मैमथ की त्वचा अभी भी बिल्कुल पहले जैसी है और बालों के कुछ टुकड़े अभी भी शरीर पर चिपके हुए हैं।

क्लोंडाइक गोल्ड फील्ड में काम कर रहे मजदूरों द्वारा इसकी खोज की गई। युकोन हमेशा से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आइस ऐज और बेरिंगिया रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है।

Nun choga पैर पर पैर चढ़ाकर लेटा हुआ है और उसकी दोनों आँखें बंद हैं। इसकी मजबूत सूँड़ अब कमज़ोर हो चुकी है लेकिन खुरों में अभी भी खाँचे मौजूद हैं। त्वचा भी किसी जीवित जानवर जैसी है। खुदाई में मिला 30, 000 वर्षों से पुराना 'ज़िंदा' वुली मैमथ एक दैत्य के समान है।

वरिष्ठ साहित्यकार, पुणे

निधि मिथिल भंडारे

जीवन का सबसे बड़ा सबक : नश्वरता को अपनाना

जीवन अनगिनत पाठों से भरी एक उल्लेखनीय यात्रा है जो हमारे अनुभव और दृष्टिकोण को आकार देती है। विजय और परीक्षणों, खुशियों और दुखों के माध्यम से, हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं जो हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। हालाँकि ऐसे अनगिनत सबक हैं जो कोई व्यक्ति जीवन भर सीख सकता है, शायद उनमें से सबसे गहरा और परिवर्तनकारी है नश्वरता को अपनाने की कला। जीवन की क्षणिक प्रकृति को पहचानने और इसके लगातार बदलते परिदृश्य को नेविगेट करने से शांति और संतुष्टि की अधिक भावना पैदा हो सकती है। इस लेख में, हम यह पता लगाएँगे कि नश्वरता को अपनाना जीवन का सबसे बड़ा सबक क्यों है और यह हमारे अस्तित्व पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

कम उम्र से ही, हम अपने जीवन में स्थिरता और स्थायित्व की तलाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम निश्चितता, निरंतरता और अपने परिवेश पर नियंत्रण की भावना के लिए तरसते हैं। हालाँकि, वास्तविकता यह है कि जीवन निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। रिश्ते विकसित होते हैं, करियर बदलता है और परिस्थितियाँ बदलती हैं। जितनी जल्दी हमें एहसास होता है कि वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, हम अस्तित्व के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से तैयार हो जाते हैं।

अनित्य को अपनाने का एक प्रमुख पहलू आसक्तियों को छोड़ना सीखना है। हम अक्सर लोगों, संपत्तियों या परिस्थितियों से चिपके रहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वे स्थायी खुशी और सुरक्षा प्रदान करेंगे। हालाँकि, जब वे अनिवार्य रूप से बदल जाते हैं या गायब हो जाते हैं तो यह लगाव, दुख का कारण बन सकता है। यह समझकर कि सब कुछ अस्थायी है, हम अनासक्ति की मानसिकता विकसित कर सकते हैं, जिससे हमें वर्तमान क्षण से चिपके बिना उसकी सराहना और उसका आनंद लेने की अनुमति मिलती है।

जब हम जीवन की नश्वरता को स्वीकार करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से वर्तमान में अधिक सचेत होकर जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। अतीत पछतावे के बजाय सबक का स्रोत बन जाता है, और भविष्य चिंता के स्रोत के बजाय संभावनाओं का एक खुला परिदृश्य बन जाता है। वर्तमान क्षण में खुद को पूरी तरह से डुबोकर, हम जीवन की समृद्धि का स्वाद ले सकते हैं और अनुभव से संतुष्टि पा सकते हैं।

हालाँकि नश्वरता शुरू में कठिन लग सकती है, इसमें गहरा अर्थ और परिवर्तन की क्षमता होती है। जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति हमें प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमारे जुनून को आगे बढ़ाने, हमारे रिश्तों का पोषण करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की तात्कालिकता की भावना को बढ़ावा देती है। अनित्य को अपनाना व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरक बन जाता है और हमारे पास मौजूद सीमित समय का लाभ उठाने की याद दिलाता है।

जब हमें एहसास होता है कि सब कुछ अनित्य है, तो कृतज्ञता और प्रशंसा हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक अभ्यास बन जाते हैं। हम क्षणभंगुर की सुंदरता, अपने प्रियजनों के प्यार और हमारे चारों ओर मौजूद साधारण खुशियों को संजोना शुरू कर देते हैं। इन अनुभवों की क्षणभंगुर प्रकृति को स्वीकार करके, हम उन्हें गहरे अर्थ से भर देते हैं और कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ उनकी उपस्थिति का स्वाद लेते हैं।

नश्वरता को अपनाना निस्संदेह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। यह हमें अनुग्रह, लचीलेपन और ज्ञान के साथ हमेशा बदलते ज्वार को नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। आसक्तियों को त्यागकर, सचेत होकर जीवन व्यतीत करके, अर्थ खोजकर और कृतज्ञता विकसित करके, हम वास्तव में अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति को अपना सकते हैं।

वरिष्ठ लेखिका, पुणे

वीनु जमुआर

जाणीव : घर से दूर वृद्धों के लिए एक घर

आइये परिचय करवाते हैं एक ऐसी संस्था से जिसे सभी सीनियर सिटीजंस का घर कहते हैं। इस संस्था का नाम है, 'जाणीव।'

जाणीव– मूलत: मराठी शब्द है जिसका अर्थ है– 'जिसकी संवेदनशील अनुभूति आपको हो।' अँग्रेजी में 'अवेयरनेस' कहेंगे।

30 वर्ष पूर्व कुछेक मध्यवर्गीय बुज़ुर्गों के पारिवारिक, आर्थिक एवं कायिक कष्टों को निकट से देख छह गृहिणियाँ जो आपस में सहेलियाँ थीं, विचलित हो उठीं। समाज के प्रति अपने दायित्व को समझकर अपने द्वारा अनुभूत पीड़ा के भाव के निवारण हेतु प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप 'जाणीव' का जन्म हुआ।

परिकल्पना– घर से दूर नैसर्गिक वातावरण–फल–फूल, पेड़–पौधों से सुगंधित ताजा हवा, मंदिर, मंदिर की घंटियों की ध्वनि के ओंकारे से गूंजता परिसर, विविध विषयों पर पुस्तकों की लाइब्रेरी, बड़ा–सा खुला हॉल, स्वच्छ आधुनिक रसोईघर, सेवाभावी सर्विस स्टाफ, चौबीस घंटे परिसर में खड़ी एम्बुलेंस, ड्राईवर एवं पास में ही अस्पताल!

अब बारी थी परिकल्पना को संस्था के रूप में स्थापित करने की। परिकल्पना की नींव गहराई, काया को रूप मिला।

फुलगाँव, पुणे के आदरणीय श्री बंसीलाल जी रायसोनी के बड़े सुपुत्र श्री प्रदीप रायसोनी जी ने अपनी एक एकड़ से अधिक भूमि संस्था को दान की। समय के संग अनेक समविचारी लोगों का साथ मिला। कई कार्पोरेट संस्थाओं, व्यक्तियों से प्राप्त छोटी–बड़ी सहयोग राशि, तन एवं मन से जुड़े व्यक्तियों के पसीने के गारे से जाणीव की परिकल्पना सच हुई। आज 30 वर्षीय 'जाणीव' वृद्धाश्रम नहीं 'ए होम फॉर दि सीनियर सिटीजंस' के नाम से जाना जाता है।

जाणीव की विशेषताएँ–

(वृद्धों के लिए घर से दूर एक घर)

- स्वतंत्र, स्वच्छ, सुंदर कॉटेजेस।
- घर जैसा पोषक और सुपाच्य भोजन।
- नियमित स्वास्थ्य जाँच।
- 24 घंटे एम्बुलेंस।
- हरा–भरा परिसर।
- परिसर में मंदिर।
- वाचनालय, पुस्तकालय की सुविधा।
- सेवापरायण कर्मचारी वर्ग।
- शहर के पास पर शहर के प्रदूषण से दूर।
- लाने–छोड़ने के लिए आश्रम द्वारा वाहन की व्यवस्था।
- सिंगल या ट्विन शेअरिंग पर कॉटेज उपलब्ध।
- स्थायी रूप से रहने, थोड़े समय के लिए रहने, एक महीने / एक सप्ताह/ दो–चार दिनों के लिए / रहने की सुविधा भी उपलब्ध।

संस्था पर एक डॉक्युमेंट्री भी बनी है। इस डॉक्युमेंट्री द्वारा इच्छुक संस्था की समग्र जानकारी पा सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिए मेल आईडी पर संदेश देकर प्राप्त किया जा सकता है।

जब मन करे दो–चार–आठ दिन, महीना भर या फिर हमेशा के लिए रहने आइये।...स्वागत है आप सभी का।

9890122603, 8390540808
myjaneev@gmail.com

कविताएँ

डॉ. पुष्पा गुजराथी

बारिश

मैं चली जाती हूँ
यादों की सीपियाँ चुनने
समंदर के किनारे,
समंदर के अंदर तक,
आँचल में बटोर लाती हूँ
यादों की कुछ सीपियाँ...!

घर आकर सीपी खोलकर,
निकाल लेती हूँ मोती
पिरोती हूँ यादों के मोतियों को,
माला में...!

रोज़ एक माला बनाती हूँ,
पहन लेती हूँ कंठ में
कि बिखर ना जाए गलती से कहीं...!

संजो कर रखती हूँ
अपने याद के मोतियों को
कि आब उनकी मंद पड़ जाए...!

आज फिर चली आ रही हूँ
समंदर की ओर सीपियाँ बटोरने
कि तूने अचानक आकर
मेरे पैरोंपर कुल्हाड़ी चला दी...!

पाँव को बचाने की हड़बड़ी में
मैनें गर्दन ही आगे कर दी तेरे...!

आज देर तक मोतियों के टूटने
और बिखरने की बारिश
लगातार हो रही है...!

pushpagujrathi@gmail.com

लेखकों से...

- 'आसरा मुक्तांगन' आपकी अपनी पत्रिका है। यह पत्रिका हिंदी सहित सभी भाषाओं के रचनाकारों को अत्यंत ही सम्मान की नजरों से देखती है। पत्रिका को आपके लेखकीय सहयोग की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कुछ विशेष बिंदुओं पर हम अत्यंत ही विनम्रतापूर्वक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
- 'आसरा मुक्तांगन' लोकतंत्र समर्थक है। लेखकों से आग्रह है कि इन्हीं मूल्यों को पुष्ट करने वाली रचनाएं ही भेजें। साथ में जरूरी फोटो, रेखाचित्र और दस्तावेज भी हो।
- मौलिक तथा अप्रकाशित रचनाएं ही भेजें।
- रचनाएं टाइप की हुई हों। हाथ की लिखी हों, तो कागज के एक तरफ पर्याप्त हाशिया छोड़कर स्पष्ट अक्षरों में लिखी हों।
- रचनाओं के साथ पासपोर्ट साइज की अपनी ताजा तस्वीर, संक्षिप्त परिचय, पिनकोड सहित पूरा पता तथा मोबाइल/ फोन नंबर जरूर भेजें।
- भेजते समय रचना की एक प्रति अपने पास अवश्य ही सुरक्षित रख लें। रचना किसी भी स्थिति में वापस नहीं भेजी जा सकेगी।
- स्वीकृति-अस्वीकृति के निर्णय में एक माह का समय लगेगा। सिर्फ स्वीकृति की ही सूचना फोन पर दी जायेगी।
- अनूदित रचना के साथ मूल लेखक का अनुमति पत्र अनिवार्य है।
- समीक्षा के लिए पुस्तक की दो प्रतियां भेजें। पुस्तकों के साथ लिखित समीक्षाएं भी भेजी जा सकती हैं लेकिन उन्हें छापने न छापने का निर्णय संपादक का होगा। प्राप्त पुस्तकों में से समीक्षा के लिए पुस्तक का चयन हम करेंगे।

-संपादक

कविताएँ

विनीता सिन्हा

माँ

माँ की याद क्या कभी दिल से जाती है?
नहीं न, शायद क्या, जवाब तो यही है।
पर माँ, मैंने चाहा था तुम्हें भुलाना,
जानती हो क्यों?
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यादों में ला-लाकर बार-बार
मैंने दिलाया है एहसास कि जाकर तुमने गलत किया है,
ऐसे क्या माँ छोड़कर जाती हैं...?
न मेरा इंतज़ार किया, न राह तकी,
बस दो दिन की बीमारी में चल बसी।
ओ मेरी माँ, पर मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ
मैं तुम्हारी वे तक़लीफ़ें कैसे भूल गई
जिनसे तुम जूझ रहीं थीं
ज़िन्दगी और मौत के बीच झूल रही थी।
यही बात मुझे सालती है
कि मैं तुझे एक आख़िरी नज़र देख भी न सकी,
पर फिर मुझे मेरी बेटी के चेहरे पर
दिखता वही डर है,
उसका यह कहना कि शायद वह मेरे लिए
ज़्यादा कुछ न कर पाए...!
पर उसे मैं कैसे समझाऊँ
कि मैं जो इतनी सक्षम दिखती हूँ,
उस वक्त मैं भी क्या कर पाई,
जा भी तो न पाई जब माँ तुम दम तोड़ रही थी।
तुम मेरी बिटिया हो उससे तो ज़्यादा ही कुछ कर लोगी।
यह मेरा विश्वास है तुम्हारे प्रति अगर ना भी कर पाई तो
मैं भी वैसे ही चली जाऊँगी चुपचाप जैसे माँ तुम चली गई,
बिना किसी शिकवे के...!

nandiniscreations@gmail.com

डॉ. सुषमा गजापुरे

मेरे एक बदलने से

मेरे एक बदलने से, यह दुनिया तो नहीं बदल जाएगी,
पर परिवर्तन की दिशा में, शायद एक पहल हो जाएगी।

मैं रहूँ चाहे गौण, परिवर्तन के इस नेक-भले उपक्रम में,
पर आशा है कुछ और बदल जाएँगे इस सुसंक्रमण में।

मुझे नाम, दाम, शोहरत कुछ भी नहीं करना हासिल,
संग मेरे बस, कुछ अच्छे परिवर्तन हो जाएँ शामिल।

जड़ता का श्राप भोगती इस दुनिया को मुझे जगाना है,
बदल कर कुंठ मानसिकता, चैतन्यता को तपाना है।

दुनिया की दिशाहीन भीड़ में रह जाऊँ मैं चाहे अकेली,
सदैव शुभकामनाओं से तो भरी रहेगी मेरी यह झोली।

जबकि जानती हूँ यह प्रयास सागर में बूँद सरीखा है,
पर बूँद-बूँद से ही मैंने सागर को भरते भी देखा है।

परिवर्तन के इसी क्रम में यदि दुनिया बढ़ती चली जाएगी,
चाहे थोड़ी-थोड़ी बदले पर सुखद भविष्य अवश्य लाएगी।

poojasushma443@gmail.com

विवेक जिसका जागा
उसकी सफल हुई जिंदगानी

रज सत व तमगुण से आगे ब्रह्मज्ञानी का डेरा है।
इस निर्गुण को जान के पल पल इस में ही बसेरा है।
गुणातीत निरंकार को पा के गुणातीत हो जाना है।
कहे 'हरदेव' तोड़ के बंधन मुक्ति पद को पाना है।

जूही गुप्ते

हिन्दी

ये कितना सुखद है,
परदेस में
सड़क किनारे खड़ा कोई,
फोन पर हिंदी में
बतियाता है
तो वह बेगाना अपना लगता है।

ये कितना सरल-सा हिसाब है,
हिंदी में पता लिख देने से,
कोई बड़ा
आशीर्वाद दे जाता है
और छोटा
पुण्य कमाता है।

ये कैसा
आत्म-विश्वास है,
जो हिंदी में बोलते ही
सिर ऊँचा हो जाता है,
माथे पर कोई
शिकन नहीं दिखती,
समझने में आसानी होती है।

ये कैसी मधुरता है,
कि हिंदी गीत पर
मन थिरकता है,
यादों के गलियारे में
घूम आता है,
कभी आँसू
तो कभी मुस्कान
रूह को छूकर
चेहरे तक आ जाती है।

ये कैसी परंपरा है,
कि शुभ अवसरों पर
बजते हैं लोकगीत,
अतिथि सत्कार
मिठाई में मिठास घोलता संदेश
हिंदी में कहने से
पूर्णता पाता है।

ये कैसी महक है,
जो महानगर के
गली नुक्कड़ पर
हिंदी में लिखी
पाटी वाले ठेले से आती है,
जिसमें वो जादूगर डालता है
जाने किस डिब्बी से
मिट्टी का स्वाद।

ये कैसा नाता है,
जो जोड़ देता है
नए पड़ोसियों को,
विदेश में बैठे
हिंदी में गप्पे मारते हैं,
अकेलापन ओझल हो जाता है,
किस्से और चाय धीमी आँच पर।

ये सहज परंपरा है,
सरल हिसाब की
जो इतनी सुखद है कि
उसमें आत्मविश्वास की मधुरता है,
ये हिंदी से हमारे नाते की महक है।

कविताएँ

संध्या

ज़िंदगी का भेद सारा

मायूसी के बादलों ने
ढक लिया
विवेक सारा,
हैं दिशाएं
लुप्त सारी,
हौसले भी
हैं प्रमादी,
हैं निशा सी
भोर भी,
न मन तिमिर का छोर ही
विचार शून्य हो गए
संकल्प
ध्यान खो गए,
वक्त की दहलीज़ पर
हम खड़े ही रह गए,
दोष मात्र एक था
चेतना का
लोप था,
कार्य में
मेरे सुप्त
भाव का प्रकोप था,
करतबो की चाह में
कर्म से
मुख मोड़ डाला,
सोच थी
कि बंद झरोखे से
होगा उजाला,
सर्वत्र
जब भटके तब जाना,
ज़िंदगी का भेद सारा
मन बुद्धि
और कर्म, युति से
पाता दिशा जीवन हमारा।

कानपुर, उत्तर प्रदेश

घोषणा-पत्र

फॉर्म-IV (नियम-8)

1.	**प्रकाशन स्थल**	:	ठाणे
2.	**प्रकाशन अवधि**	:	मासिक
3.	**मालिक, मुद्रक प्रकाशक**	:	महानंदा शिरकर
4.	**नागरिकता**	:	भारतीय
5.	**पता**	:	मंगल प्रभात, सूर्य नगर, विटावा, ठाणे (महाराष्ट्र)-400605
6.	**संपादक**	:	विमलेश शिरकर
7.	**नागरिकता**	:	भारतीय
8.	**पता**	:	मंगल प्रभात, सूर्य नगर, विटावा, ठाणे (महाराष्ट्र)-400605
9.	**पत्रिका के मालिक और उन मालिक शेयरधारकों के नाम, कुल पूंजी में जिनकी एक प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी है।**	:	लागू नहीं

मैं महानंदा शिरकर घोषित करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही है।

मार्च, 2024 **हस्ताक्षर**

महाराष्ट्र के 51वें निरंकारी सन्त समागम में निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने दिया आंतरिक शांति का दिव्य संदेश

नागपुर, जनवरी, 2024 जब हम अपने अहंकार को तजकर पूर्ण समर्पण भाव से इस परमात्मा से इकमिक होते हैं तब हमारे अंतर्मन को सही अर्थो में शांति एवं अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। यह परम आनंद हमारे व्यवहार में भी दृश्यमान होने लगता है। फिर समूचे संसार का हर प्राणी हमें अपना लगने लगता है और हमारा जीवन मानवीयता के दिव्य गुणों से महक उठता है।

ये पावन प्रवचन निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने नागपुर में आयोजित तीन दिवसीय निरंकारी संत समागम के समापन सत्र में उपस्थित साध संगत को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। यह दिव्य संत समागम अपनी अनुपम छठा बिखरते हुए हर्षोल्लासपूर्वक वातावरण में सम्पन्न हुआ।

सतगुरु माता जी ने फरमाया कि प्रीत, नम्रता, मिठास जैसे दिव्य गुणों को अपनाकर मन-वचन-कर्म से हम सच्चे इन्सान बनें। हम जितना अधिक इस निरंकार से जुड़ते चले जायेंगे उतना ही हमारे अंतर्मन का वास्तविक मनुष्य प्रकट होता चला जायेगा। इसी मानवता को हमें जीवित रखना है। ब्रह्मज्ञान द्वारा हर पल में इस परमात्मा का अहसास करते हुए भक्ति भरा जीवन जीना है।

माताजी ने कहा कि जीवन में संतों का संग करना अत्यंत आवश्यक है। संत प्रवृत्ति से ही जीवन की वास्तविक सुंदरता है और उससे युक्त होकर ही सहज रूप में ही कल्याण की ओर बढ़ा जा सकता है।

सतगुरु माता जी ने जीवन की सार्थकता को समझाते हुए कहा कि संसार में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही

प्रकार की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जिसका चुनाव हमें अपने विवेक से स्वयं ही करना होता है। ब्रह्मज्ञान हमें विवेकशील दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसको अपनाकर हम सकारात्मक भाव से एक भक्ति भरा जीवन जीते चले जाते हैं।

सतगुरु माता जी ने प्रतिपादन किया कि परमात्मा ने हमें हर तरह की क्षमता प्रदान की है। हम चाहे तो एक सही मनुष्य बनकर फरिश्ते जेसा जीवन जी सकते हैं, जो मनुष्य का मूल स्वभाव है, अन्यथा इसके विपरीत दिशा में जाकर दानवीय प्रवृत्ति से ग्रसित हो सकते हैं। यह चुनाव हमारा अपना है।

संत समागत में निरंकारी राजपिता रमित जी ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि सतगुरु ने ब्रह्मज्ञान द्वारा नश्वर और शाश्वत की पहचान कराई है, सत्य और माया को अलग-अलग करके दर्शाया है। सत्य वही है जो सदैव कायम-दायम है और इस सत्य को प्राप्त करने से ही जीवन में वास्तविक सुकून आ सकता है। सुकून की परम अवस्था परमात्मा को पाना ही है। इसके अभाव में स्थायी रूप में सुकून प्राप्त करना संभव नहीं। इस एक परमात्मा को जानकर इससे इकमिक होकर ही हर पल में सुकून प्राप्त हो जाता है। अपनी इच्छा को प्रभु इच्छा में सम्मिलित करने से जीवन में शुकराने का भाव आता जिससे सुकून का अनुभव होता है।

सेवादल रैली

समागम के दूसरे दिन एक आकर्षक सेवादल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शारीरिक व्यायाम के अतिरिक्त योग, एरिएल सिल्क्स, मानव पिरामिड, रोप स्कीपिंग तथा अनेकों प्रकार के खेलकूद और करतब प्रस्तुत किए गए। इसी तरह मिशन की सिखलाई पर आधारित विभिन्न भाषाओं के माध्यम से लघु नाटिकायें प्रस्तुत की गईं जिसके माध्यम से भक्ति में सेवा के महत्व को उजागर किया गया।

कवि दरबार

समागम के तृतीय दिन का मुख्य आकर्षक एक बहुभाषीय कवि दरबार रहा जिसमें 'सुकून: अंतर्मन का' विषय पर मराठी, हिन्दी, कोंकणी, पंजाबी, भोजपुरी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषाओं में 22 कवियों ने अपनी कवितायें प्रस्तुत करी। जिसका आनंद सभी श्रोताओं द्वारा प्राप्त किया गया और सभी ने प्रशंसा की।

निरंकारी प्रदर्शनी बनीं आकर्षण का केन्द्र

समागम में आयोजित भव्य 'निरंकारी प्रदर्शनी' श्रद्धालु भक्तों एवं समागम में आने वाले जनसाधारण के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस प्रदर्शनी को मुख्य प्रदर्शनी के अतिरिक्त बाल प्रदर्शनी एवं स्वास्थ्य व समाज कल्याण विभाग प्रदर्शनी के रूप में दर्शाया गया।

उल्लेखनीय है कि निरंकारी बच्चों द्वारा विभिन्न मॉडल, आधुनिक तकनीकी, एनीमेशन इत्यादि के आधार पर

बनाई गई बाल प्रदर्शनी को देखने के लिए नागपुर एवं आसपास के स्कूलों के छात्र सैकड़ों की संख्या में समागम के तीन दिन पहले से ही आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में आधुनिक युग के जीवन में आ रही समस्याओं का सटीक समाधान मिशन की सिखलाई का आधार लेकर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रदर्शनी को देखने वाले छात्र, उनके अभिभावक एवं अध्यापक वर्ग अत्यंत प्रभावित हुए एवं उनके द्वारा इस बाल प्रदर्शनी की काफी सराहना की गई।

संत समागत के तीनों मैदानों में समागम के आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को स्टील की थालियों में दिन-रात लंगर परोसा जा रहा है। इसके अतिरिक्त समागम स्थल पर 5 कैन्टीनों में रियायती दरों पर विभिन्न खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई है। देशभर से आये हुए सभी श्रद्धालु बिना किसी भेदभाव के एक ही पंक्ति में बैठकर लंगर ग्रहण कर रहे हैं जिसे देखकर अनेकता में एकता तथा बंधुत्व भाव का एक सुंदर उदाहरण देखने को मिल रहा है।

संत समागम में कायरोप्रैक्टिक थेरपी का शिविर लगाया गया है जिसमें अमेरिका एवं यूरोप के अनेक डॉक्टर्स निष्काम सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। अब तक इस शिविर में हजारों व्यक्तियों ने उपचार का लाभ प्राप्त किया है।

इस दिव्य संत समागम पर इसके अतिरिक्त अन्य सेवाओं में समर्पित भक्तों द्वारा भी प्रेमाभक्ति और निष्काम सेवा का भाव परिलक्षित किया गया।

–स. वि. लव्हटे

जल परमात्मा का वरदान है, हमें इस अमृत की संभाल करनी है

– सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज

संत निरंकारी चौरिटेबल फाउंडेशन के 'प्रोजेक्ट अमृत' का देशभर में सफल आयोजन। मुंबई महानगर में 100 से अधिक जल स्रोतों की स्वच्छता।

मुंबई, 26 फरवरी, 2024: सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की पावन छत्रछाया में कल प्रात: 'अमृत प्रोजेक्ट' के अंतर्गत 'स्वच्छ जल, स्वच्छ मन' परियोजना के दूसरे चरण का शुभारम्भ यमुना नदी के छठ घाट, आई.टी.ओ, दिल्ली से किया गया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित यह परियोजना समस्त भारतवर्ष के 27 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के 1533 से अधिक स्थानों पर आयोजित इस परियोजना में 11 लाख से भी अधिक स्वंयसेवकों ने भाग लिया।

इस परियोजना के अंतर्गत मुंबई महानगर इलाके में 100 से भी अधिक जल स्रोतों की सफाई की गई जिसमें मुख्यत: मुंबई की गिरगांव, वरली, प्रभादेवी, दादर, शिवाजी पार्क, माहिम, जुहू बीच, सात बंगला बीच के साथ कई चौपाटियों का समावेश था। इसके अतिरिक्त वर्सोवा जेट्टी, माहूल गांव जेट्टी, पवई सरोवर, बसंत पार्क तीन तालाब, आरे कालोनी का गणेश तालाब, आरे तालाब, सायन तालाब, चेंबूर का गणेश विसर्जन तालाब, कुर्ला का शीतल तालाब, मलाड का गांवदेवी लोटस तालाब, दहिसर के पेणकर पाडा स्थित साई दत्त तालाब, भांडुप का छत्रपती शिवाजी महाराज तालाब, मुलुंड का गणेश विसर्जन घाट, कांजूरमार्ग का भांडुपेश्वर कुंड आदि स्थानों का समावेश था। आसपास के ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, उरण, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार इत्यादि इलाकों में भी अनेक स्थानों पर यह अभियान चलाया गया।

मुंबई महानगर प्रदेश में इस आयोजन के दौरान कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिष्टाचार भेंट की जिनमें मुख्यत: महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री तथा मुंबई के पालक मंत्री माननीय मंगल प्रभात लोढा, सांसद गोपाल शेट्टी, सांसद पूनम महाजन, विधायक संजय केलकर, विधायक सुनील राऊत एवं विधायक प्रशांत ठाकुर आदि का समावेश था। इनके अतिरिक्त कई पूर्व नगरसेवकों ने भी स्थान स्थान पर इस अभियान में पधारकर सेवादारों का उत्साह बढ़ाया।

सतगुरु माता जी ने प्रोजेक्ट अमृत के इस अवसर पर अपने आर्शीवचनों में फरमाया कि हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है और यह अमृत समान है। जल हमारे जीवन का मूल आधार है। परमात्मा ने हमें यह जो स्वच्छ एवं सुंदर सृष्टि दी है, इसकी देखभाल करना हमारा कर्त्तव्य है। मानव रूप में हमने ही इस अमूल्य धरोहर का दुरुपयोग करते हुए इसे प्रदूषित किया है। हमें प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में रखते हुए उसकी स्वच्छता करनी होगी। हमें अपने कर्मों से सभी को प्रेरित करना है न कि केवल शब्दों से। कण-कण में व्याप्त परमात्मा से जब हमारा नाता जुड़ता है और जब हम इसका आधार लेते हैं तब हम इसकी रचना के हर स्वरूप से प्रेम करने लगते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब हम इस संसार से जाये तो इस धरा को और अधिक सुंदर रूप में छोड़कर जाये।

इस अवसर पर निरंकारी राजपिता रमित जी ने सतगुरु माता जी से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने जीवन से हमें यही प्रेरणा दी कि सेवा की भावना निष्काम रूप में होनी चाहिए न की किसी प्रसंशा की चाह में। हमारा प्रयास स्वयं को बदलने का होना चाहिए क्योंकि हमारे आंतरिक बदलाव से ही समाज एवं दुनियां में परिवर्तन आ सकता है।

संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस परियोजना में संत निरंकारी मिशन के सभी अधिकारीगण, गणमान्य अतिथि तथा हजारों की संख्या में स्वयंसेवक और सेवादल के सदस्य सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण संत निरंकारी मिशन की वेबसाइट के माध्यम से किया गया जिसका लाभ देश एवं विदेशों में बैठे सभी श्रद्धालु भक्तों ने प्राप्त किया। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों एवं शिक्षकों के साथ-साथ कई संस्थाओं व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए अनेक गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की भी इस अवसर पर भागीदारी रही।

– प्रविण छाब्रा, मीडिया सहायक, मुंबई

‘अनन्या फाउंडेशन’ एवं ‘मुकुंद कंपनी’ के तत्वावधान में मैराथन दौड़ सम्पन्न।

शाहपुर: शाहपुर रोड रेस (मैराथन) 2024 का आयोजन दिनांक 3 फरवरी 2024 को ‘अनन्या फाउंडेशन’ और ‘मुकुंद कंपनी’ द्वारा संयुक्त रूप से प्रगति विद्यालय, ठिले में आयोजित किया गया।

मैराथन रोड रेस में तालुका के 44 स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। खास बात यह है कि इस मैराथन प्रतियोगिता में छह में से छह नंबर संत ज्ञानेश्वर विद्यामंदिर, ताहरपुर विद्यालय ने जीते। छात्रों में अभय रमेश वरथा (प्रथम रैंक); 593 सुश्री अनिकेत विजय हिलम (दूसरी रैंक) 476 सुमित प्रभाकर जाधव (तीसरी रैंक)। वहीं छात्राओं में: 489 सुश्री अर्चना सुक्रेया महाले (प्रथम रैंक); 481 सुश्री रुचिता साधन मोरे (दूसरा स्थान); 485 भूमिका भरत भगरे (तीसरे नंबर) से आई हैं।

प्रगति विद्यालय थिले के प्राचार्य सुनील पाटिल सर व सभी शिक्षकगणों ने मैराथन दौड़ के सफल आयोजन के लिए कड़ी मेहनत की। इसी दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागी छात्रों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से गणमान्य दर्शकों, प्राचार्य व शिक्षकों को छात्रों को मंत्रमुग्ध किया।

इस कार्यक्रम में मुकुंद कंपनी, अनन्या फाउंडेशन के अध्यक्ष ने सभी को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

!! हरि ओम !!

वसुंधरा फाउंडेशन, ठाणे

(पंजीकरण संख्या-ई / 2824 / ठाणे / दिनांक 11/10/2002)

ब्रह्मविद्या श्वसन और विचार का अभ्यास है
शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की कुंजी

- **ब्रह्मविद्या क्या है?**

'ब्रह्मविद्या' योग और दर्शन का एक प्राचीन विज्ञान है। सर्वोच्च परमात्मा को 'ब्रह्म' कहा जाता है। अर्थात् जिसे हम ईश्वर, परमेश्वर, भगवान कहते हैं, उसका ज्ञान 'ब्रह्मविद्या' के नाम से जाना जाता है। 'ब्रह्मविद्या' हमें सिखाती है कि हर इंसान भगवान का अंश है, यानी उसके भीतर दिव्यता छिपी हुई है और यही कारण है कि हर इंसान में सभी कठिनाइयों और समस्याओं पर काबू पाने की शक्ति होती है। 'ब्रह्मविद्या' इस दिव्यता, इस शक्ति को कैसे जागृत किया जाए इसकी निश्चित विधियाँ सिखाती है।

- **ब्रह्मविद्या पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाता है?**

ब्रह्मविद्या पाठ्यक्रम सही श्वसन और सही सोच पर जोर देता है। वैकल्पिक रूप से, यह सांस और विचार का अभ्यास है, जिस पर संपूर्ण मानव जीवन आधारित है। सांस और विचार के बिना, जीवन का विचार ही असंभव है। क्योंकि इन दोनों चीजों का इस्तेमाल हम जन्म से ही अनजाने में करते आ रहे हैं। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। कोई भी स्कूल सही साँस लेना और सही सोच नहीं सिखाता। हैरानी की बात यह है कि औसत व्यक्ति अपने फेफड़ों की क्षमता का केवल 10% ही उपयोग करता है। परिणामस्वरूप, परिवेशी वायु से थोड़ी मात्रा में श्वसन वायु अंदर ली जाती है। फेफड़ों की क्षमता का कम उपयोग फेफड़ों की परत को मोटा करने का कारण बनता है। शरीर में प्राणवायु की आपूर्ति कम होने के कारण चलते समय सांस फूलना, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना महसूस होता है। अस्थमा, श्वसन रोग, रक्त शुद्धि न होना आदि अनेक रोगों के लोग शिकार होते हैं।

- **ब्रह्मविद्या सीखने के क्या फायदे हैं?**

उन अभ्यासकर्ताओं के अनुभव के आधार पर जिन्होंने इस अनुशासन को सीखा है और पिछले कुछ वर्षों में नियमित अभ्यास बनाए रखा है, और अपने स्वयं के शिक्षण अनुभव से, मैं निम्नलिखित लाभों के बारे में कह सकता हूँ।

1. ब्रह्मविद्या अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की नींव रखती है।
2. इसमें सिखाए गए उचित सांस, प्राणायाम और ध्यान अभ्यास के माध्यम से कई लोगों ने अस्थमा, जोड़ों के दर्द, उच्च रक्तचाप (ब्लड प्रेशर), मधुमेह, हृदय रोग, मानसिक कमजोरी और अवसाद जैसी कई बीमारियों पर काबू पाया है।

उपरोक्त फायदों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मविद्या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का निर्णय लें। आपका जीवन निश्चित रूप से एक नया आनंदमय मोड़ लेगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो कोई भी सांस लेता है, पुरुष या महिला, कक्षा में शामिल हो सकता है।

प.पू. साठे गुरुजी उर्फ बालयोगी मुकुंद- संस्थापक वसुंधरा प्रतिष्ठान

'आसरा मुक्तांगन' तथा 'पवित्राय ग्लोबल ट्रेनिंग हब' द्वारा आयोजित कार्यक्रम की छवियाँ

RNI NO. MAHHIN/2012/45032

सृजन स्मरण

आज़ाद देश की नई परीक्षा हुई शुरू
क़ुरबानी का फिर नया ज़माना आया है,
फिर नई चुनौती वहशी हूणों की आई
फिर नये राष्ट्र ने भैरव राग गुँजाया है।

शिवमंगल सिंह 'सुमन'
(1915-2002)

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक महानंदा एम. शिरकर द्वारा साई ऑफसेट, डी-39, अमरज्ञान इंडस्ट्रियल इस्टेट, एस.टी. डेपो के सामने खोपट, ठाणे (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं मंगल प्रभात, सूर्य नगर, विटावा, ठाणे-400605 से प्रकाशित
ईमेल- aasaramuktangan@gmail.com मोबाइल- 09029784346, 08108400605